मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2014-अग्रहायण 21, शके 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम निकिता जैन पुत्री सुनील कुमार जैन था, अब उसे बदलकर निकिता बिल्लौरे पुत्री श्री पवन कुमार बिल्लौरे कर दिया गया है. भविष्य में मुझे निकिता बिल्लौरे पुत्री श्री पवन कुमार बिल्लौरे से जाना जावे.

पुराना नाम :
(निकिता जैन)
पिता का नाम : श्री सुनील कुमार जैन
पता —सी-23, कस्तूरबा नगर,
चेतक ब्रिज के पास, भोपाल (म. प्र.).

नया नाम :
(निकिता बिल्लौरे)
पिता का नाम : श्री पवन कुमार बिल्लौरे
पता —149, संयुक्त बिहार, एसआरजी
आधारशिला, बरखेड़ा पठानी, भोपाल (म. प्र.).

(469-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, शादी के पूर्व में मेरा नाम कुमारी गुड्डी ठाकुर पुत्री श्री बी. एन. सिंह ठाकुर शादी के बाद मेरा परिवर्तित नया नाम श्रीमती ज्योति सिंह पत्नि श्री मृत्युंजय सिंह हो गया है. लिहाजा आज के बाद भविष्य में मुझे श्रीमति ज्योति सिंह पत्नि मृत्युंजय सिंह के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(गुड्डी ठाकुर)

नया नाम :
(ज्योति मृत्युंजय सिंह)

(471-बी.)

नाम परिवर्तन

1. यह कि पूर्व में मुझे एडवोकेट बब्लू प्रसाद वंशकार, निवासी म. नं. 7/15, एम. ए. एन. आईटी. कैम्पस, भोपाल, म. प्र. के नाम से जाना, पहचाना जाता था एवं सरनेम वंशकार लिखता था.

2. यह कि अब मैं, एडवोकेट बी. पी. बंशल, निवासी म. नं. 7/15, एम. ए. एन. आईटी. कैम्पस, भोपाल, म. प्र. के नाम से जाना, पहचाना जाता हूं एवं सरनेम बंशल लिखने लगा हूं.

3. यह कि अब हमेशा के लिये एडवोकेट बी. पी. बंशल उपर्युक्त वर्णित भोपाल का स्थायी निवासी के रूप से जाना एवं पहचाना जावे, जिस हेतु यह सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जा रही है.

पुराना नाम :

(एडवोकेट बब्लू प्रसाद वंशकार)

नया नाम :

(एडवोकेट बी. पी. बंशल)

(472-बी.)

नाम परिवर्तन

1. यह कि पूर्व में मुझे एडवोकेट चतुर्भुज वंशकार, निवासी म. नं. RLY-S-17, शिवा आस्था नगर, रेल्वे हाउसिंग सोसायटी, गली क्र. 03, ई-8, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, म. प्र. के नाम से जाना, पहचाना जाता था एवं सरनेम वंशकार लिखता था.

2. यह कि अब मैं, एडवोकेट चतुर्भुज सिंह गौरेले, निवासी म. नं. RLY-S-17, शिवा आस्था नगर, रेल्वे हाउसिंग सोसायटी, गली क्र. 03, ई-8, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, म. प्र. के नाम से जाना, पहचाना जाता हूं एवं सरनेम गौरेले लिखने लगा हूं.

3. यह कि अब हमेशा के लिये एडवोकेट चतुर्भुज सिंह गौरेले उपर्युक्त वर्णित भोपाल का स्थायी निवासी के रूप से जाना जावे एवं पहचाना जावे, जिस हेतु यह सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जा रही है.

पुराना नाम :

(एडवोकेट चतुर्भुज वंशकार)

नया नाम :

(एडवोकेट चतुर्भुज सिंह गौरेले)

(473-बी.)

CHANGE OF NAME

This is to inform that i have changed my name Juoti Raii in place of Jyoti Rai for all future purpose.

Old Name :
(JYOTI RAI)

New Name :
(JUOTI RAII)
D/o Ashok Rai,
New Colony No. 1, House No. 167,
Birla Nagar, Gwalior (M. P.).

(476-B.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में (पासपोर्ट और मार्कशीट्स) में मेरा नाम अजित कुमार खत्री लिखा हुआ था जिसे मैंने बदलकर जीत खत्री कर लिया है. अत: अब मुझे मेरे पासपोर्ट सहित सभी जगह मेरे नये नाम जीत खत्री से ही मुझे लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(अजित कुमार खत्री)
(AJIT KUMAR KHATRI)

नया नाम :

(जीत खत्री)
(JIT KHATRI)
119, Adarsh Nagar,
Gwari Ghat Road, Jabalpur (M.P.).

(482-बी.)

NOTICE

U/s. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firm "M/s AADHARSHILA CONSTRUCTION Co." of Bhopal *Vide* Reg. No.

00056/2006, Date of Registration 13/07/2006 undergone the following changes:-

1. That Ankit Agrawal S/o Shri Sharad Agrawal has Joined the Partnership firm and the business of Partnership firm has continue at H.I.G.-B/74, A-Sector, Vidhya Nagar, Bhopal *w.e.f.* 01/04/2014.

Sharad Agrawal,
(Partner)
"M/s AADHARSHILA CONSTRUCTION Co."
H.I.G.-B/74, A-Sector, Vidhya Nagar, Bhopal.

(464-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी इकाई श्री विश्वकर्मा फेब्रीकेटर्स के नाम से पंजीकृत है जो कि भूखण्ड क्रमांक 9, सेक्टर-एच, औद्योगिक क्षेत्र, गोविंदपुरा, भोपाल में स्थापित एक औद्योगिक इकाई है, जिसमें आठ भागीदारों क्रमश: (1) बख्शीश सिंह आत्मज श्री एस. प्रेम सिंह, (2) श्रीमति मलकीत कौर पत्नि स्व. श्री एस. अमरजीत सिंह, (3) श्रीमती करमजीत कौर पत्नि श्री रचपाल सिंह, (4) श्रीमति तरनजीत कौर पत्नि श्री कमलजीत सिंह, (5) श्री नरेन्द्र पाल सिंह आत्मज स्व. श्री जगतराम सिंह, (6) श्री अमरजीत सिंह आत्मज स्व. श्री जगतराम सिंह, (7) श्री रतनमणी आत्मज स्व. श्री जगतराम सिंह, (8) श्रीमति दर्शन कौर पत्नि स्व. श्री जगतराम सिंह थे—

1. दिनांक 11-03-1993 को निष्पादित हुई साझेदारी अनुबंध के अनुसार प्रथम भागीदार बख्शीश सिंह आत्मज श्री एस. प्रेम सिंह, दिनांक 31-03-1992 को इकाई से सेवानिवृत्त (पृथक्) हो गये एवं उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री एस. अमरजीत सिंह भागीदारी में दिनांक 01-04-1992 को नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हुये.

2. दिनांक 22-02-2007 को निष्पादित हुयी साझेदारी अनुबंध के अनुसार श्रीमति दर्शन कौर पत्नि स्व. श्री जगतराम सिंह की मृत्यु दिनांक 31-10-2006 को हो जाने के कारण वे इकाई से पृथक् हो गईं एवं उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री जसवीर सिंह आत्मज स्व. श्री जगतराम सिंह दिनांक 01-11-2006 को इकाई में नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हुये.

3. दिनांक 06-11-2009 को निष्पादित हुयी साझेदारी अनुबंध के अनुसार श्री एस. अमरजीत सिंह आत्मज श्री बख्शीश सिंह की मृत्यु दिनांक 18-10-2009 को हो जाने के कारण वे इकाई से पृथक् हो गये और अब इकाई में केवल 7 (सात) भागीदार शेष रह गये.

दिनांक 03-05-2014 को साझेदारी अनुबंध पत्र के अनुसार वर्तमान में तीन साझेदार (1) श्री नरेन्द्रपाल सिंह आत्मज स्व. श्री जगतराम सिंह, (2) श्री अमरजीत सिंह आत्मज स्व. श्री जगतराम सिंह, (3) श्री रतनमणी आत्मज स्व. श्री जगतराम सिंह हैं तथा चार साझेदार (1) श्रीमति मलकीत कौर पत्नि स्व. श्री एस. अमरजीत सिंह, (2) श्रीमति करमजीत कौर पत्नि श्री रचपाल सिंह, (3) श्रीमति तरनजीत कौर पत्नि श्री कमलजीत सिंह एवं (4) श्री जसवीर सिंह आत्मज स्व. श्री जगतराम सिंह उक्त साझेदारी से सेवानिवृत्त (पृथक्) हो गए.

अत: वर्तमान में इकाई मेसर्स श्री विश्वकर्मा फेब्रीकेटर्स का संचालन शेष तीन भागीदार (1) श्री नरेन्द्रपाल सिंह आत्मज स्व. श्री जगतराम सिंह, (2) श्री अमरजीत सिंह आत्मज स्व. श्री जगतराम सिंह, (3) श्री रतनमणी आत्मज स्व. श्री जगतराम सिंह की भागीदारी में किया जा रहा है. उक्त भागीदार आपसी सहमति से जिस प्रकार चाहे इकाई का संचालन करने के लिये स्वतंत्र हैं.

वास्ते—श्री विश्वकर्मा फेब्रीकेटर्स
अमरजीत सिंह,
(भागीदार).

(465-बी.)

जाहिर सूचना

हर आम व खास को सूचित करने में आता है कि हमारे पक्षकार मेसर्स आई इनोवेटिव रिसर्च सेन्टर, 145, आर्बीट माल, 305-306 पी. यू-4, स्कीम नम्बर 54, इन्दौर में एक भागीदार प्रदीप यादव पिता श्री शंकरलाल यादव रहे हैं. उनके द्वारा हमारी फर्म से अपनी भागीदारी समाप्त कर ली होकर वह फर्म से पृथक् हो गये हैं. भविष्य में हमारी पक्षकार की फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार का व्यवहार उक्त व्यक्ति द्वारा नहीं किया जावेगा. यदि किसी प्रकार का व्यवहार किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक द्वारा उनसे किया जाता है तो समस्त प्रकार के व्यवहारों के लिये संबंधित पक्ष ही जवाबदेह रहेगा. सो सूचित हो.

हिमांशू जोशी,
(अभिभाषक)
88, वीर सावरकर मार्केट, राजबाड़ा, इन्दौर (म. प्र.).

(466-बी.)

NOTICE

U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firm "M/s Malhotra Construction Company" of Bhopal Vide Reg. No. 193/1988-1989, Dated on 09/06/1988 undergone the following changes:-

1. That Shri Deepak Malhotra S/o Shri S. C. Malhotra and Ku. Poonam Malhotra D/o Shri S. C. Malhotra has Joined the Partnership firm and Shri Waman Parshuram S/o Shri Parsuram Mahadev Nagvekar and sayed jani S/o Sayed Saimen has retired from the Partnership firm and the principal place of business of the firm shall be carry from HX-29-E-7 Extension, Arera Colony, Bhopal w.e.f 01/04/1997.

2. Mr. S. C. Malhotra was retired due to his death w.e.f. 05/08/2013.

Deepak Malhotra,
(Partner)
"M/s Malhotra Construction Company",
HX-29- E-7 Extension, Arera Colony, Bhopal.

(467-B.)

NOTICE

U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firm "M. F. T. Builders & Developers" of Bhopal Vide Reg. No. 00528/2012 Date of Registration 19/03/2012 undergone the following changes:-

1. That Ms. Maliha D/o M. Abdul Najeeb age about 15 years (Miner) and Ms. Mariyah D/o M. Abdul Najeeb age about 14 years (Miner) Partners has Joined the Partnership firm *w.e.f.* 22/10/2014.

M. Abdul Najeeb,
(Partner)
" M. F. T. Builders & Developers",
9/2, Gulshan-e-Iqbal, Beside Rambha Talkies,
Jehengirabad, Bhopal.

(468-B.)

सूचना

यह है कि मे. श्री दुर्गा खांडसारी (शुगर) मिल्स मेन्द्राना से श्रीमती कमलाबाई हजारीलाल अग्रवाल ने दिनांक 01-04-2013 से रीटायरमेंट ले लिया है. अब इनके स्थान पर 3 नए भागीदार 1. गोर्वधन हजारीलाल तायल, 2. वृंदावन हजारीलाल तायल, 3. गोपाल हजारीलाल तायल पार्टनर रहेंगे.

कैलाशचन्द्र गोयल,
(पार्टनर)

मे. श्री दुर्गा खांडसारी (शुगर) मिल्स, मेन्द्राना,
तह. पानसेमल, जिला बड़वानी (म. प्र.).

(470-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स जी. एस. कन्स्ट्रक्शन स्थित ए-4, विनय नगर, सेक्टर 4, ग्वालियर में दिनांक

21-10-2009 से भागीदार श्री सत्येन्द्र सिंह पुत्र श्री विजय सिंह निवासी गोविन्द पौर, घासमण्डी, ग्वालियर एवं श्री शिवदूत सिंह पुत्र श्री भागचंद जी, निवासी गोविन्द पौर, घासमंडी, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म—मैसर्स जी. एस. कंस्ट्रक्शन,
संजय सिंह
(भागीदार)
ए-4, विनय नगर, सेक्टर-4, ग्वालियर (म. प्र.).
द्वारा—हेमंत सिरसट
(कर सलाहकार)
सोगानी एण्ड कम्पनी, ग्वालियर (म. प्र.).

(474-बी.)

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that in the firm M/S Navkar Construction R. No. 03/29/07/00113/07/2007-2008, dated 17.10.2007 there is a change in the constitution of the firm w.e.f. 11.01.2010 that Shri Ramadas Gupta S/o Babulalji Gupta has been retired from the firm w.e.f. 11.01.2010.

RUPESH KUMAR PORWAL,
Partner of M/s Navkar Construction,
67, Azad Marg, Thandla Dist. Jhabua (M.P.) 457777.

(475-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स कन्हैयालाल दौलतराम फर्म जिसका पता शाप नम्बर-41, नवीन फल एवं सब्जी मंडी, तेजपुर गड़बड़ी, इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00217/14, दिनांक 20-01-2014 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री कन्हैयालाल पिता श्री दौलतराम आहूजा, 2. श्रीमती शांतिबाई पति श्री ओमप्रकाश थे. दिनांक 16-09-2014 से 1. श्री रिंकू पिता श्री ओमप्रकाश परिडवाल एवं 2. श्री राजकुमार पिता श्री ओमप्रकाश परिडवाल उक्त फर्म में भागीदार के रूप में शामिल हुए हैं एवं भागीदार 1. श्री कन्हैयालाल पिता श्री दौलतराम आहूजा उक्त भागीदारी फर्म से अलग हो गये हैं. इन्होंने फर्म से अपना पूर्ण हिसाब-किताब कर लिया है. अब फर्म मैसर्स कन्हैयालाल दौलतराम से कोई लेना-देना नहीं है. यह विदित हो.

तर्फे
मैसर्स कन्हैयालाल दौलतराम,
1. श्रीमती शांतिबाई पति श्री ओमप्रकाश
2. श्री रिंकू पिता श्री ओमप्रकाश परिडवाल
3. श्री राजकुमार पिता श्री ओमप्रकाश परिडवाल
(भागीदार).

(477-बी.)

JAHIR SUCHNA

According to Provisions of partnership Act 1932 we are intimate to general public firm that M/s BHURAMAL RAMCHANDRA, Indore Registration No. 2091 of 1985-86 Registration 04/11/1985 had following changes in the firm:-

Name and full address of the incoming partner and date of his/her joining the firm	Name and full address of the outgoing partner and date of his/her ceasing to be partner
1. Purushottam S/o Shri Harisahay Kumawat R/o J87 LIG clony, Indore Age 25years @ in 1992 w.i.f 1/4/1989.	1. Purushottam S/o Shri Harisahay Kumawat R/o J87 LIG clony, Indore Age 35 years@ in 1999 w.i.f 21/12/1999.
2. Biharila S/o Shri Moharilal Kumawat R/o J 87 LIG colony, Indore Age 23 years @ in 1992 w.e.f. 1/4/1989.	2. Biharila S/o Shri Moharilal Kumawat R/o J 87 LIG colony, Indore Age 33 @ years in 1999 w.e.f. 21/12/1999.

Name and full address of the incoming partner and date of his/her joining the firm	Name and full address of the outgoing partner and date of his/her ceasing to be partner
3. Sohanlal S/o Shri Bhuramal R/o J 87 LIG Colony, Indore Age 28 years @ in 1999 w.e.f. 21/12/1999.	3. Bhooramal S/o Shri Mahadev R/o J87 LIG Colony, Indore Age 78 years @ in 1999 w.e.f 18/12/1999 (due to death).
4. Naveen Kumar S/o Shri Ramchandra R/o J 87 LIG Colony, Indore Age 23 years @ in 1999 w.e.f. 21/12/1999.	4. Sohanlal S/o Shri Bhuramal R/o J 87 LIG Colony, Indore Age 40 years @ in 2011 w.e.f. 21/12/2011
5. Sanjeev kumar S/o Shri Sanwarmal R/o J 87 LIG Colony, Indore Age 24 years @ in 1999 w.e.f. 21/12/1999.	5. Sanjeev kumar S/o Shri Sanwarmal R/o J 87 LIG Colony, Indore Age 36 years @ in 2011 w.e.f. 21/12/201 1 (expired on 23/12/2011).
6. Shankutala Verma W/o Shri Sudeep Kumar Verma R/o 82 Goyal Nagar, Indore Age -32 years @in 2011 w.e.f. 21/12/2011.	6. Ramsahai S/o Shri Bhuramal R/o J 87 LIG colony, Indore Age 56 years @ in 2011 w.e.f. 21/12/2011.
7. Savitri Devi Verma W/o Shri Ramchandra Verma R/o 82 Goyal Nagar, Indore Age -63 years @ in 2011 w.e.f. 21/12/2011.	7. Suresh Kumar S/o Bhuramal R/o J87 LIG Colony, Indore Age 51 Years @ in 2011 w.e.f. 21/12/2011.
	8. Hansraj S/o Phoolchand R/o J87 LIG colony, Indore Age 49 years @ in 2011 w.e.f. 21/12/2011.

For : M/s Bhuramal Ramchandra

Mohan Lal

(Partner)

(478-B.)

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s Eshan Udyog , having office at ,Village Bheeta, Bheraghat Jabalpur, a partnership firm incorporated on 27.09.2009, having two partners as Shri Jogesh Jaggi and Shri Anil Jaggi. On 01.04.2013, Shri Anil Jaggi retired as a partner from the firm and Smt. Vandana Jaggi joined in as a partner on the same date. Now the two partners of the firm are Shri Jogesh Jaggi and Smt. Vandana Jaggi. This public notice is being published for the purpose of registration of change in composition of the firm with the office of Registrar of Firms and Society.

For : M/s Eshan Udyog

Jogesh Jaggi,

(Partner)

(479-B.)

सार्वजनिक सूचना

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के तहत् आम सूचना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 की धारा-63 (1) के अधीन इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि साझेदारी फर्म का नाम मेसर्स रामकन्यादेवी इन्फ्रास्ट्रक्चर, 160/2, अहिल्यापुरी, एबी रोड, भंवरकुआ, इंदौर की रचना में निम्नलिखित परिवर्तन किया गया है—

1. सम्मिलित होने वाले साझेदार के नाम और पता एवं उनके फर्म में सम्मिलित होने की दिनांक : 17-10-2014

(i) रमेशपुरी गोस्वामी पिता शंकरपुरी गोस्वामी, 160/2, अहिल्यापुरी, इंदौर

(ii) कृष्णा गिरी पिता मगन गिरी, 160/2, अहिल्यापुरी, इंदौर

(iii) सुनिलगिरी गोस्वामी पिता कैलाश गिरी गोस्वामी, 160/2, अहिल्यापुरी, इंदौर

2. फर्म के स्थान में निम्न परिवर्तन किया गया है—

(i) पूर्व पता—, 160/2, अहिल्यापुरी, ए.बी. रोड, भंवरकुआ, इंदौर

(ii) नया पता—42/18, नानक नगर, पीपल्याराव, इंदौर

नियमित पार्टनर—प्रियंका गोस्वामी, 160/2, अहिल्यापुरी, ए.बी. रोड, भंवरकुआ, इंदौर

निकलने वाले साझेदार का नाम व पता और उसके साझेदार न रहने— की दिनांक 17-10-2014 — विजय भारती पिता प्रेम भारती गोस्वामी, 160/2, अहिल्यापुरी, भंवरकुआ, इंदौर

For Ramkanyadevi Infrastructure,
कृष्णा गिरी
प्रियंका गोस्वामी,
भागीदार

(480-बी.)

आम-सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शौर्य कान्स्ट्रक्शन कम्पनी फर्म पंजीयन क्र. 05/22/08/0144/13 फर्म के पार्टनर क्रमशः पार्टनर नं. 02 श्री तरूणेन्द्र कुमार तिवारी, ग्राम—पो. बदवार, तहसील गुढ़, जिला रीवा (म. प्र.)क्रमशः पार्टनर नं. 04 श्री शिवेन्द्र कुमार तिवारी, निवासी ग्राम—पो. बदवार, तहसील गुढ़, जिला रीवा (म. प्र.) अपनी स्वेच्छा से आज दिनांक 22-09-2014 से फर्म से रिटायर हो गये हैं. जिनका फर्म की किसी भी गतिविधियों से कोई लेना-देना नहीं होगा तथा प्रथम भागीदारी विलेख के अनुसार पार्टनर नं. 03, श्रीमती स्मृति सिंह जो कि द्वितीय भागीदारी विलेख में श्रीमती स्मृति सिंह का नाम परिवर्तन करके श्रीमती स्मृति मिश्रा किया गया है. जो कि अब इन्हें इसी नाम से जाना एवं पहचाना जायेगा. अतः फर्म की रचना के परिवर्तन में जिस किसी को भी आपत्ति हो वह प्रकाशन दिनांक सात दिवस के अन्दर आपत्ति दर्ज करे.

द्वारा फर्म मेसर्स शौर्य कान्स्ट्रक्सन कं.,
चन्द्रमणी मिश्रा
(पार्टनर)
पता—16/783, पी. के. स्कूल के पास,
गली नं. 02, उर्रहट, रीवा (म. प्र.).

(481-बी.)

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 12 नवम्बर, 2014

संक्षिप्त समाचार विज्ञप्ति

(यूनानी चिकित्सा अधिकारी लिखित परीक्षा-2013, परीक्षा दिनांक 20 जुलाई, 2014 (रविवार) परीक्षा परिणाम)

साक्षात्कार हेतु मय प्रमाण-पत्रों के अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण फॉर्म एवं आवेदन-पत्र आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि 08 दिसम्बर, 2014 है एवं साक्षात्कार दिनांक 23 जनवरी, 2015 से होंगे.

वि. क्र. 737/23/2014/अनु.-10.—विज्ञापन क्रमांक-04/परीक्षा/2013/28-09-2013 के अंतर्गत लिखित परीक्षा के घोषित परीक्षा परिणाम में कुल 903, ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे जिन्हें लिखित परीक्षा में प्रवेश-पत्र जारी किये गये. इस परीक्षा में कुल 699 आवेदक उपस्थित हुए एवं लिखित परीक्षा परिणाम में 69 आवेदक साक्षात्कार हेतु अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-52, अनुसूचित जाति-06, अनुसूचित जनजाति-02 व अन्य पिछड़ा वर्ग-09 है व भूतपूर्व सैनिक निरंक है. इनमें कुल महिला-24, विकलांग-03, समान अंक-01 है एवं विकलांग श्रवण बाधित श्रेणी के 03 अर्ह आवेदक कम पाए गए हैं. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षाफल की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी.

2. यूनानी चिकित्सा अधिकारी लिखित परीक्षा-2013, परीक्षा दिनांक 20 जुलाई, 2014 (रविवार) के सभी प्रावधिक अर्ह अभ्यार्थियों हेतु अनुप्रमाणन फार्म व व्यक्तिगत विवरण फार्म आयोग की वेबसाईट www.mppsc.com & www.mppsc.nic.in पर उपलब्ध है. प्रावधिक अर्ह अभ्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म डाउनलोड करके विधिवत् भरकर अनुप्रमाणन फार्म

(दो प्रतियों में) एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म (पाँच प्रतियों में) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं परीक्षा के लिए भरे गए आवेदन-पत्र की प्रति अन्य समस्त प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति सहित संलग्न कर दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें. जिन आवेदकों के अनुप्रमाणन फार्म अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग लेना नहीं चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.

3. प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फार्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जाँच के उपरांत ही आवेदन-पत्र में दी गई अर्हता की ज़ानकारी सही पाए जाने पर ही साक्षात्कार की पात्रता होगी. साक्षात्कार दिनांक 23 जनवरी, 2015 से आयोजित होंगे. परीक्षा परिणाम की विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाईट पर दिनांक 12 नवम्बर, 2014 से उपलब्ध है.

वंदना वैद्य,
उप सचिव.

(933)

(यूनानी चिकित्सा अधिकारी लिखित परीक्षा-2013, परीक्षा दिनांक 20 जुलाई, 2014 (रविवार) परीक्षा परिणाम)

इन्दौर, दिनांक 12 नवम्बर, 2014

साक्षात्कार हेतु मय प्रमाण-पत्रों के अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण फॉर्म एवं आवेदन-पत्र आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि 08 दिसम्बर, 2014 है एवं साक्षात्कार दिनांक 23 जनवरी, 2015 से प्रारंभ होंगे.

वि. क्र. 737/23/2014/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन क्रमांक-04/परीक्षा/2013/28-09-2013, ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 06 नवम्बर, 2013, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग के अंतर्गत यूनानी चिकित्सा अधिकारी के 41 पदों हेतु यूनानी चिकित्सा अधिकारी लिखित परीक्षा-2013, परीक्षा दिनांक 20 जुलाई, 2014 (रविवार) परीक्षा केन्द्र केवल इन्दौर पर आयोजित की गई थी. उपरोक्त लिखित परीक्षा में साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों का परीक्षा परिणाम आयोग की विज्ञप्ति क्र. 737/23/2014/अनु-10, दिनांक 12-11-2014 द्वारा घोषित किया गया है. यह परिणाम आयोग कार्यालय के सूचना-पटल पर देखने के लिए उपलब्ध है तथा ''रोजगार और निर्माण'' के आगामी अंक में प्रकाशित किया जा रहा है. इसे आयोग की वेबसाईट www.mppsc.com & www.mppsc.nic.in पर देखा जा सकता है.

इस परीक्षा में कुल 903 ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे जिन्हें लिखित परीक्षा में प्रवेश-पत्र जारी किये गये. इस परीक्षा में कुल 699 आवेदक उपस्थित हुए एवं लिखित परीक्षा परिणाम में 69 आवेदक साक्षात्कार हेतु अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-52, अनुसूचित जाति-06, अनुसूचित जनजाति-02 व अन्य पिछड़ा वर्ग-09 है व भूतपूर्व सैनिक निरंक है. इनमें कुल महिला-24, विकलांग-03 समान अंक-01 है एवं विकलांग श्रवण बाधित श्रेणी के 03 अर्ह आवेदक कम पाए गए हैं. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षाफल की सूची ही प्रमाणिक माना जाएगी.

यूनानी चिकित्सा अधिकारी लिखित परीक्षा-2013, परीक्षा दिनांक 20 जुलाई, 2014 (रविवार) के सभी प्रावधिक अर्ह अभ्यार्थियों हेतु अनुप्रमाणन फार्म व व्यक्तिगत विवरण फार्म आयोग की वेबसाईट www.mppsc.com & www.mppsc.nic.in पर उपलब्ध है. प्रावधिक अर्ह अभ्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म डाउनलोड करके विधिवत् भरकर अनुप्रमाणन फार्म (दो प्रतियों में) एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म (पाँच प्रतियों में) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं परीक्षा के लिए भरे गए आवेदन-पत्र की प्रति अन्य समस्त प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति सहित संलग्न कर दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें. जिन आवेदकों के अनुप्रमाणन फार्म अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग लेना नहीं चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.

प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फार्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जाँच के उपरांत ही आवेदन-पत्र में दी गई अर्हता की जानकारी सही पाए जाने पर ही साक्षात्कार की पात्रता होगी.साक्षात्कार दिनांक 23 जनवरी, 2015 से आयोजित होंगे.

आवेदन-पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.

लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है.

परीक्षा परिणाम में अर्ह आवेदकों की सूची निम्नानुसार हैं:—

S.No.	Roll No.	Name
1	100013	ARSHID IQBAL
2	100032 .	NELOFAR KHAN
3	100082	ATHAR PARVEZ ANSARI
4	100102	MUDASSIR AHMED SHAIKH
5	100110	MOHD SHADAB
6	100124	ABDUL QUDDUS
7	100132	SABIHUDDIN JOHAR
8	100136	ABDASIMIN SIDDIQUI
9	100150	ZARRIN KHAN
10	100173	KUM ASMA KHAN
11	100174	SOHAIL AHMAD KHAN
12	100175	ZUBAIR AHMED KHAN
13	100179	ANITA CALCO
14	100207	AAISHA BANO
15	100208	MUSTA ALI
16	100209	YUSUF ALI
17	100214	MALKA BANO
18	100228	IMRAN NOORANI
19	100239	SHAHEEN BANO ANSARI
20	100256	SHAINEY ANJUM
21	100261	TUFAIL AHMAD
22	100267	HAQEEQ AHMAD
23	100282	TEHSIN FATMA
24	100298	SHANKAR SAWLE
25	100304	ASHA TAWDEKAR
26	100307	DEEPIKA SILVEY
27	100310	FARAZUDDIN KHAN
28	100318	SUDHAKAR GUDGE
29	100330	DR. ASNA ZAFAR
30	100346	ATIYA ANJUM
31	100352	MANJUSHREE GAVLE
32	100360 ‘	RESHMA QAMAR
33	100363	BUSHRA REHMAN
34	100368	MAJIDA BANO
35	100370	MUNAWWAR GAURI
36	100386	MEHMOOD KHAN

S.No.	Roll No.	Name
37	100388	SUMERA MEHFOOZ
38	100390	AZHER BAIG MIRZA
39	100394	MIRZA GHUFRAN BAIG
40	100395	MIRZA REHAN BAIG
41	100397	ASAD KHAN
42	100420	MOHAMMAD DAUD
43	100438	MOHAMMAD NAZIM
44	100458	MUKHTAR AHMED ANSARI
45	100459	AIJAZ ANWAR ANSARI
46	100474	RAFIQUE KHAN
47	100483	SOHAIL AHMED ANSARI
48	100494	ABDUL KHALIQUE
49	100512	MOHAMMAD ALI
50	100527	MOHD AFSHAN KHAN
51	100531	MOHD ZEESHAN KHAN
52	100555	MAZHAR UDDIN
53	100611	LUBNA PARVEEN SAIYED
54	100620	SADIQUE HUSAIN
55	100627	MANOJ GAWAI
56	100631	MAZHAR HUSAIN ANSARI
57	100643	MOHAMMAD YUSUF ANSARI
58	100700	NEHA THAKUR
59	100746	IMRAN SHAIKH
60	100782	HAIDER ALI ANSARI
61	100787	AMEETA TAWDEKAR
62	100794	NIZAMUL HAQUE
63	100821	SYED ABRAR ALI JAFARI
64	100822	MOHD FAISAL IQBAL SYED
65	100824	SHIREE FATIMA ZAIDI
66	100843	DANISH JAHAN
67	100849	SHAISTA FATIMA
68	100891	RAHAT KHAN
69	100903	DR. SHAHIDA BANO

महत्वपूर्ण टीप:—

1. सूची में दर्शाये गये प्रत्याशियों का साक्षात्कार पूर्णतया प्रावधिक (प्रॉविजनल) है, यदि यह पाया गया कि प्रत्याशी उपरोक्त पदों हेतु विज्ञापन में अधिसूचित नियमों/शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो प्रत्याशी साक्षात्कार हेतु अयोग्य माने जाएंगे.
2. प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फार्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जाँच के उपरान्त ही साक्षात्कार दिनांक 23 जनवरी, 2015 से आयोजित होंगे.
3. परीक्षा में प्रत्याशियों को प्रवेश से संबंधित शर्तों के अनुसार अपनी आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण-पत्र के समर्थन में मूल प्रमाण-पत्र की प्रमाणिक प्रतियाँ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं.
4. आवेदन-पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.

5. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं. अत: आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भेजें. लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है. चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी.

6. प्रावधिक अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर देखने के लिए उपलब्ध है. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर चस्पा की गई प्रत्याशियों की सूची ही प्रमाणिक मानी जायेगी.

7. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है.

आर. आर. कान्हेरे,
परीक्षा नियंत्रक.

(933-A)

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 02 दिसम्बर, 2014

क्र. जी.बी.चार/पेपर(के-11) 2014-15/3598.—सचित्र कैलेण्डर एवं अन्य सामग्री को पेपर सहित मुद्रण कर प्रदाय करने के इच्छुक प्रिन्टरों से आई. टी. विभाग की वेबसाइट **https://www.mpeproc.gov.in** से ऑनलाईन निविदाएं दिनांक **18 दिसम्बर, 2014 अपराह्न 2.00 बजे** तक आमंत्रित की जाती हैं.

2. मध्यप्रदेश शासन के वेबसाइट **www.govtpressmp.nic.in** पर निविदा सूचना, तकनीकी विवरण एवं शर्तों को अवलोकनार्थ रखा गया है.

3. ई-टेण्डरिंग में प्रस्तुत तकनीकी भाग की हार्ड कॉपी की डेट अनुसार अधोहस्तारक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक **18 दिसम्बर, 2014 को अपराह्न 3.00 बजे** तक प्रस्तुत करना होगा. ई-टेण्डरिंग का तकनीकी भाग एवं हार्ड कॉपी के लिफाफे एवं निविदाकार द्वारा प्रस्तुत नमूनों को दिनांक **18 दिसम्बर, 2014 अपराह्न 3.30 बजे** स्वेच्छा से उपस्थित निविदाकारों/प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जावेगा.

(930)

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर, 2014

क्र. जी.बी.5/(वि-1)/2014-15/3432.—शासकीय केन्द्रीय/क्षेत्रीय मुद्रणालय, भोपाल/ग्वालियर/इन्दौर/रीवा की एकत्रित समस्त सफेद कागज की रद्दी, कतरन एवं रील कोर के खाली गुटके के विक्रय हेतु दोहरी लिफाफा पद्धति के अन्तर्गत (पृथक्-पृथक् लिफाफे में तकनीकी एवं कॉमर्शियल निविदा अंकित कर) मुहरबन्द निविदा **दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 को अपराह्न 1.00 बजे** तक आमंत्रित की जाती है.

निविदा प्रपत्र, शर्तें एवं अनुबंध को वेबसाईट **www.tenders.gov.in** एवं **govtpressmp.nic.in** पर रखा गया है.

निविदा प्रपत्र वेबसाइट से डाऊनलोड कर प्रस्तुत करना होगा एवं निविदा के साथ रुपये 500/- की डी. डी. नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री के पक्ष में तैयार कर संलग्न करना अनिवार्य होगा. निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम **दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 अपरान्ह 1.00 बजे** निर्धारित है. तकनीकी निविदाएं **दिनांक 15 दिसम्बर, 2014** को उपस्थित निविदाकारों/अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष अपराह्न 3.00 बजे खोली जावेंगी.

अरूण तिवारी,
नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

(931)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

ISHAATE ULOOME ISLAMI WA IQUBALE REHMANI ''कार्यालय 59/2, जूना रिसाला, इंदौर (म.प्र.) की ओर से श्री शफीकुर रहमान खान, निवासी—59/2, जूना रिसाला, इंदौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	ISHAATE ULOOME ISLAMI WA IQUBALE REHMANI
कार्यालय पता	:	59/2, जूना रिसाला, इंदौर (म. प्र.)
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(883)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

''श्री दिगम्बर जैन म्यूजियम शोध संस्थान ट्रस्ट'' कार्यालय 312, ओरजिन टॉवर, साउथ तुकोगंज, इंदौर (म. प्र.) की ओर से ब्रहमचारी श्री राजेश पिता स्व. श्री ज्ञानचंद जैन, निवासी—उदासीन आश्रम, एम. जी. रोड, इंदौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	''श्री दिगम्बर जैन म्यूजियम शोध संस्थान ट्रस्ट''
कार्यालय	:	312, ओरजिन टॉवर, साउथ तुकोगंज, इंदौर (म. प्र.)
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रु. 11000/- (रुपये ग्यारह हजार मात्र)

आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

विजय कुमार अग्रवाल,
रजिस्ट्रार.

(883-A)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास कुक्षी, जिला धार

प्र. क्र. 05/बी-113(1)/2013-14.

फार्म-4

[नियम-5(1)देखिए]

[मध्यप्रदेश न्यास अधिनियम, 1951 (तीसवां) की धारा-5 (2) और नियम-5 (1) मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1953]

जामिआ उम्मुल कुर्रा ट्रस्ट बाग, तहसील कुक्षी, जिला धार मध्यप्रदेश एवं अन्य सदस्य ने मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1959 की धारा-4 के अंतर्गत अनुसूचि में उल्लेखित सार्वजनिक न्यास पंजीयन के सम्बन्ध में आवेदन प्रस्तुत किया है. जन-साधारण को सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 को विचार किया जावेगा.

2. अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रति में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिगत या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

न्यास का नाम	:	जामिया उम्मुल कुर्रा ट्रस्ट बाग, तहसील कुक्षी, जिला धार
अचल सम्पत्ति	:	बैंक ऑफ इंडिया, शाखा बाग के खाता क्रमांक 980110110005537 में रुपये 5100/- (पाँच हजार एक सौ रुपये मात्र) दिनांक 01 जून, 2014 को जमा.

रेखा राठौर,

(932) अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, राजधानी परियोजना, टी. टी. नगर, वृत्त भोपाल

प्ररूप-4

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि "अभय सागर फाउन्डेशन ट्रस्ट, भोपाल" द्वारा श्री सुधीर कुमार अग्रवाल आ. श्री सुशील कुमार अग्रवाल, निवासी ई-4/231, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, ट्रस्ट का पता ई-2/4, अरेरा कॉलोनी, भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत् एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु निवेदन किया गया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 को विचार किया जाएगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वे इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथास्थिति विधिक् प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि के व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

1.	ट्रस्ट का नाम	..	"अभय सागर फाउन्डेशन ट्रस्ट, भोपाल"
2.	अचल सम्पत्ति	..	निरंक.
3.	चल सम्पत्ति	..	5000/-

मनोज सरियाम,

(928) अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, बण्डा, जिला सागर

बण्डा, दिनांक 18 नवम्बर, 2014

प्र. क्र. 4040 बी/121 वर्ष 2013-14.

मौजा-बरगुवाँ, तह. शाहगढ़, जिला-सागर.

क्र. क/3091/री.-1/2014.—एतद्द्वारा सर्व-साधारण को जरिये इश्तहार के द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री श्री 1008 देव गौरीशंकर जी महादेव मंदिर, ग्राम बरगुवाँ, तहसील शाहगढ़, जिला सागर में स्थित है, जिसके मुहत्तमकार श्री पूरनसिंह पिता दंगलसिंह प्रबंधक, कलेक्टर सागर हैं. मंदिर के नाम से मौजा बरगुवाँ, रा. नि. मण्डल शाहगढ़ में स्थित भूमि ख. नं. 151, 270, 273, रकबा क्रमशः 2.93, 1.85, 1.80 कुल रकबा 6.58 हे. भूमि मंदिर के नाम से दर्ज है. जिसके मुहत्तमकार श्री पूरनसिंह पिता दंगलसिंह थे जो दिनांक 15-09-1974 को फौत हो चुके हैं. मुहत्तमकार के पुत्र ठा. बरजोर सिंह द्वारा इस न्यायालय की ट्रस्ट पंजी में नवीन मंदिर कमेटी के गठन हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

क्र. (1)	प्रस्तावित नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री रामसिंह पिता गुलाबसिंह, सा. बरगुवाँ	अध्यक्ष
2.	श्री राजेन्द्र सिंह पिता हरबलसिंह, सा. बरगुवाँ	उपाध्यक्ष
3.	श्री बलरामसिंह पिता बरजोर सिंह, सा. बरगुवाँ	कोषाध्यक्ष
4.	श्री बरजोरसिंह पिता पूरनसिंह, सा. बरगुवाँ	सदस्य
5.	श्री विजयबहादुर सिंह पिता बरजोरसिंह, सा. बरगुवाँ	सदस्य
6.	श्री मुलायम सिंह पिता गुलाबसिंह सा. बरगुवाँ	सदस्य
7.	श्री महेन्द्र पाल सिंह पिता गुलाबसिंह सा. बरगुवाँ	सदस्य
8.	श्री बलवन्त सिंह पिता बरजोरसिंह सा. बरगुवाँ	सदस्य
9.	श्री हम्मीर सिंह पिता बरजोरसिंह सा. बरगुवाँ	सदस्य

जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो या अपना सुझाव देना चाहते हों तो वह अपनी लिखित आपत्ति या सुझाव इस न्यायालय में पेशी दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 को न्यायालयीन समय में स्वयं या अपने, अपने वैध अधिकृत व्यक्ति/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. बाद म्याद गुजरने पर आपत्ति या सुझाव को स्वीकार नहीं किया जावेगा.

इश्तहार आज दिनांक 17 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी.

जारी दिनांक 17 नवम्बर, 2014
पेशी दिनांक 19 दिसम्बर, 2014.

नारायण सिंह ठाकुर,
अनुविभागीय अधिकारी.

(929)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सागर

सागर, दिनांक 27 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1401.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोमतपुरा, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 354, दिनांक 05 नवम्बर, 1981 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/954, दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. सी. रोहित, विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना, सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोमतपुरा, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 354, दिनांक 05 नवम्बर, 1981 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(867)

सागर, दिनांक 27 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1402.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोटना, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 340, दिनांक 17 सितम्बर, 1981 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/954, दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. सी. रोहित, विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना, सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोटना, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 340, दिनांक 17 सितम्बर, 1981 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(867-A)

सागर, दिनांक 27 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1403.—तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भैंसा, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 513, दिनांक 19 मार्च, 1991 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2870, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री अनिल कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, राहतगढ़, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भैंसा, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 513, दिनांक 19 मार्च, 1991 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(867-B)

सागर, दिनांक 27 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1404.—तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भापेल, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 465, दिनांक 13 दिसम्बर, 1989 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/954, दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री अनिल कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, राहतगढ़, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भापेल, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 465, दिनांक 13 दिसम्बर, 1989 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(867-C)

सागर, दिनांक 27 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1405.—तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डिलाखेड़ी, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 508, दिनांक 19 मार्च, 1991 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/1314, दिनांक 30 सितम्बर, 2008 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री रामजीखरे, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी बण्डा द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डिलाखेड़ी, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 508, दिनांक 19 मार्च, 1991 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(867-D)

सागर, दिनांक 27 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1406.—तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जैतपुर, विकासखण्ड केसली, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 474, दिनांक 10 अक्टूबर, 1990 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2868, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री रजनीश नायक, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी केसली द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जैतपुर, विकासखण्ड केसली, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 474, दिनांक 10 अक्टूबर, 1990 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(867-E)

सागर, दिनांक 27 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1407.—महिला कला मंदिर गृह उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 441, दिनांक 28 जुलाई, 1988 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/1719, दिनांक 02 अगस्त, 2000 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला कला मंदिर गृह उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 441, दिनांक 28 जुलाई, 1988 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(867-F)

सागर, दिनांक 27 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1408.—किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 125, दिनांक 14 अगस्त, 2002 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/1433, दिनांक 23 अक्टूबर, 2008 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एच. के मिश्रा, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 125, दिनांक 14 अगस्त, 2002 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(867-G)

सागर, दिनांक 27 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1409.—16वीं वाहिनी महिला कल्याण सहकारी समिति मर्या., मकरोनिया सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 742, दिनांक 15 दिसम्बर, 1998 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2805, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 16वीं वाहिनी महिला कल्याण सहकारी समिति मर्या., मकरोनिया सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 742, दिनांक 15 दिसम्बर, 1998 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(867-H)

सागर, दिनांक 27 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1410.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कन्दारी, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 807, दिनांक 22 अप्रैल, 2002 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/1621, दिनांक 20 अगस्त, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री रामजीखरे, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, बण्डा द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कन्दारी, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 807, दिनांक 22 अप्रैल, 2002 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(867-I)

सागर, दिनांक 27 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1411.—माँ सरस्वती महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सोमला, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 984, दिनांक 30 नवम्बर, 2002 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/1546, दिनांक 20 अगस्त, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री बसंत कुमार रोहित, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी जैसीनगर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ सरस्वती महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सोमला, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 984, दिनांक 30 नवम्बर, 2002 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(867-J)

सागर, दिनांक 27 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1412.—माँ हरसिद्धि महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., नरयावली नाका, वार्ड सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 1135, दिनांक 31 जुलाई, 2004 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2783, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ हरसिद्धि महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., नरयावली नाका, वार्ड सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 1135, दिनांक 31 जुलाई, 2004 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(867-K)

सागर, दिनांक 27 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1413.—ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., गोपालगंज सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 962, दिनांक 28 सितम्बर, 2002 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2839, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., गोपालगंज सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 962, दिनांक 28 सितम्बर, 2002 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(867-L)

सागर, दिनांक 27 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1414.—गंगा ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., तिलीवार्ड सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 762, दिनांक 11 अगस्त, 2000 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2863, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गंगा ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., तिलीवार्ड सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 762, दिनांक 11 अगस्त, 2000 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(867-M)

सागर, दिनांक 27 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1415.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बेरखेड़ी, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 338, दिनांक 17 जुलाई, 1981 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/954, दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. सी. रोहित, विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना, सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बेरखेड़ी, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 338, दिनांक 17 जुलाई, 1981 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(867-N)

सागर, दिनांक 27 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1416.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भैंसा, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 333, दिनांक 17 जुलाई, 1981 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/954, दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. सी. रोहित, विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना, सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भैंसा, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 333, दिनांक 17 जुलाई, 1981 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(867-O)

सागर, दिनांक 27 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1417.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बन्नाद, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 417, दिनांक 28 अगस्त, 1985 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/1557, दिनांक 18 जुलाई, 2000 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. सी. रोहित, विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना, सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बन्नाद, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 417, दिनांक 28 अगस्त, 1985 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(867-P)

सागर, दिनांक 27 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1418.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पचपीपरा, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 378, दिनांक 26 दिसम्बर, 1983 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/954, दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. सी. रोहित, विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना, सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पचपीपरा, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 378, दिनांक 26 दिसम्बर, 1983 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(867-Q)

सागर, दिनांक 27 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1419.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खामखेड़ा, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 384, दिनांक 11 मई, 1984 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/1255, दिनांक 30 अक्टूबर, 1992 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. सी. रोहित, विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना, सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खामखेड़ा, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 384, दिनांक 11 मई, 1984 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(867-R)

सागर, दिनांक 27 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1420.—कामधेनु दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बम्होरी बीका, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 749, दिनांक 01 जून, 1999 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/954, दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. सी. रोहित, विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना, सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कामधेनु दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बम्होरी बीका, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 749, दिनांक 01 जून, 1999 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

संजय नायक,
उप पंजीयक.

(867-S)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर

सागर, दिनांक 16 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था का	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	भूतेश्वर महिला विकास सह. समिति मर्या., संतरविदास वार्ड, सागर	1154/08-09-2004	693/24-04-2013
2.	रानीदुर्गावती महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., भैंसी, सागर	829/20-05-2002	766/24-04-2013
3.	सिंह वाहिनी महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., रामपुरा वार्ड, सागर	959/28-02-2002	696/24-04-2013
4.	दुर्गा बीड़ी उद्योग सह. समिति मर्या., सानोधा	1229/06-12-2006	699/24-04-2013
5.	महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या.,गिदवानी	1181/25-02-2005	703/24-04-2013
6.	महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., पथरियाहाट	887/27-07-2002	708/24-04-2013
7.	महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., बेरखेड़ीसुवंश	886/27-07-2002	709/24-04-2013
8.	महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., बदोना	853/22-06-2002	719/24-04-2013
9.	एमईएस कर्मचारी साख सह. समिति मर्या., सागर	356/05-12-1981	721/24-04-2013
10.	गायत्री महिला विकास सह. समिति मर्या., पंतनगर, सागर	1114/26-04-2004	722/24-04-2013
11.	महिला विकास सह. समिति मर्या., तिली वार्ड, सागर	1175/15-02-2005	723/24-04-2013
12.	विजय फोस्फेट उद्योग सह. समिति मर्या., सागर	375/19-08-1983	727/24-04-2013
13.	अल्प संख्यक लेदर उद्योग सह. समिति मर्या., सागर	472/15-03-1990	728/24-04-2013
14.	चर्म शिल्प उद्योग सह. समिति मर्या., लालकुर्ती सागर	730/19-03-1998	729/24-04-2013

(1)	(2)	(3)	(4)
15.	दाउद आफसेट मुद्रणालय सह. समिति मर्या., सागर	132/05-03-2003	731/24-04-2013
16.	राजघाट विस्थापित मत्स्य सह. समिति मर्या., सागर	784/07-08-2001	734/24-04-2013
17.	रविदास हरिजन कामगार सह. समिति मर्या., राजखेड़ी, सागर	294/21-02-1975	738/24-04-2013
18.	पशु संवर्धन कर्म. साख सह. समिति मर्या., सागर	447/29-03-1989	739/24-04-2013
19.	दूर संचार कर्मचारी साख सह. समिति मर्या., सागर	751/13-07-1999	740/24-04-2013
20.	बुन्देलखण्ड अल्पबचत सह. समिति मर्या.,मोहनगर, सागर	719/28-10-1997	744/24-04-2013
21.	तिलहन उत्पादक सह. समिति मर्या., सानोधा	456/13-02-1989	745/24-04-2013
22.	मां शारदामहि बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., भोजपुरा, सागर	828/20-05-2002	747/24-04-2013
23.	मधुकर शाह प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., मधुकरशाह वार्ड, सागर	327/20-04-1981	749/24-04-2013
24.	राघव प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., गंभीरिया, सागर	710/04-10-1997	750/24-04-2013
25.	ईधन आपूर्ति सह. समिति मर्या., कटरा सागर	1216/13-12-2005	754/24-04-2013
26.	ओम साईराम ईंधन आपूर्ति सह. समिति मर्या., सदर केण्ट, सागर	1224/25-05-2006	756/24-04-2013
27.	आजीवन आरोग्य सहकारी समिति मर्या., सागर	139/02-09-2004	764/24-04-2013
28.	महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., कुड़ारी	816/08-05-2002	765/24-04-2013
29.	महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., बंसिया, बरोदा	956/28-09-2002	707/24-04-2013

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं, अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक/संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौपें यदि बाद में ज्ञात होता है, कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकार्ड एवं डेडस्टाक नहीं सौपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनकों वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती है, तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 16 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

एच. के. मिश्रा,

सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

(868)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, राहतगढ़

सागर, दिनांक 16 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत

निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था का	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	मां हरिसिद्धि प्रिंटिंग प्रेस सहकारी समिति मर्या., राहतगढ़	142/14-10-2005	730/24-04-2013
2.	कृषक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., निवोदिया	135/23-06-2003	736/24-04-2013

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं, अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक/संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौपें यदि बाद में ज्ञात होता है, कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकार्ड एवं डेडस्टाक नहीं सौपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनकों वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती है, तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 16 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

अनिल कुमार जैन,
सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

(869)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, जैसीनगर

सागर, दिनांक 16 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जैसीनगर	1017/21-01-2003	705/24-04-2013
2.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., खेजरामाफी	1192/13-04-2005	717/24-04-2013
3.	उमाशक्ति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., खेजरामाफी	1194/13-04-2005	726/24-04-2013
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अगरिया	455/11-12-1989	753/24-04-2013

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं, अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक/संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौपें यदि बाद में ज्ञात होता है, कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकार्ड एवं डेडस्टाक नहीं सौपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनकों वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं, तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 16 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

बसंत रोहित,
सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

(870)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, मालथोन

सागर, दिनांक 16 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति मर्या., हिरपछिपा	1205/30-06-2005	695/24-04-2013

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं, अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौपें यदि बाद में ज्ञात होता है, कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टाक नहीं सौपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं, तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 16 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

आर. के. राठौर,
सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

(871)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, देवरी

सागर, दिनांक 16 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	रानीदुर्गावती महि. बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति मर्या., पिपरिया पाठक	1185/07-03-2005	702/24-04-2013
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गौरझामर	468/13-12-1989	746/24-04-2013

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां

परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं, अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौपें यदि बाद में ज्ञात होता है, कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टाक नहीं सौपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं, तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 16 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

राकेश जैन,

(872) सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, खुरई

सागर, दिनांक 16 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बाहरपुर	1212/02-08-2005	758/24-04-2013
2.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., लुहर्रा	1198/13-04-2005	711/24-04-2013
3.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., चन्द्रापुर	1211/02-08-2005	712/24-04-2013
4.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कनउ	1213/12-05-1985	724/24-04-2013
5.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सिलोधा	1209/20-07-2005	725/24-04-2013
6.	डाक विभाग कर्म. साख सहकारी समिति मर्या., खुरई	775/22-04-2001	741/24-04-2013
7.	विविध शिल्पकला प्राथ. सह उपभोक्ता भण्डार मर्या., खुरई	271/21-10-1972	751/24-04-2013
8.	ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., खिमलासा	1220/19-03-2006	755/24-04-2013

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं, अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौपें यदि बाद में ज्ञात होता है, कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टाक नहीं सौपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं, तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे,

आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 16 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

अनिल कुमार जैन,

(873) सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, केसली

सागर, दिनांक 16 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	ग्रामीण विकास अल्पबचत सहकारी समिति मर्या., केसली	743/05-01-1999	763/24-04-2013

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं, अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौपें यदि बाद में ज्ञात होता है, कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टाक नहीं सौपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं, तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 16 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

रजनीश नायक,

(874) सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, बण्डा

सागर, दिनांक 16 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./14/1392.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बमाना	1196/15-04-2005	710/24-04-2013
2.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सेमरा अहीर	1207/08-07-2005	713/24-04-2013
3.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सेमरारामचन्द्र	1204/16-06-2005	714/24-04-2013
4.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बरखेड़ा	863/04-07-2002	720/24-04-2013

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं, अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौपें यदि बाद में ज्ञात होता है, कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टाक नहीं सौपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं, तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 16 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(875)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, शाहगढ़

सागर, दिनांक 16 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	जय माँ काली महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हंसरईसादपुर	1200/03-05-2005	716/24-04-2013
2.	आदिवासी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कानीखेड़ी	1226/30-06-2006	759/24-04-2013
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़	558/03-12-1993	752/24-04-2013

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं, अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौपें यदि बाद में ज्ञात होता है, कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टाक नहीं सौपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं, तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 16 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

रामजी खरे,

(876) सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, बीना

सागर, दिनांक 16 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हिन्नोद	1136/05-08-2004	700/24-04-2013
2.	आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., रामपुर	839/04-06-2002	704/24-04-2013
3.	इंदिरागांधी महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., चमारी	1202/03-05-2005	715/24-04-2013
4.	महारानी लक्ष्मीबाई महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., मुहासा	1190/01-04-2005	718/24-04-2013
5.	पिछड़ा वर्ग खदान सहकारी समिति मर्या., देहरी	631/27-05-1996	737/24-04-2013
6.	हरिजन नगरपालिका कर्म. साख सह. समि. मर्या., बीना	425/13-03-1986	742/24-04-2013
7.	मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कर्म. अल्प बचत सह. समिति मर्या., बीना	783/02-08-2001	762/24-04-2013

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं, अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौपें यदि बाद में ज्ञात होता है, कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टाक नहीं सौपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं, तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 16 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

ऋषभ जैन,

(877) सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, रहली

सागर, दिनांक 16 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चौरई	583/02-11-1994	697/24-04-2013
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चॉदपुर	488/11-10-1990	732/24-04-2013

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चनौआ बुजुर्ग	486/11-10-1990	733/24-04-2013
4.	कर्मा बाई बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रहली	1227/11-09-2006	698/24-04-2013
5.	मछुआ सहकारी समिति मर्या., रहली	788/28-09-2001	735/24-04-2013
6.	नगरपालिका हरिजन कर्म. साख सहकारी समिति मर्या., रहली	440/06-10-1987	743/24-04-2013

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं, अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौपें यदि बाद में ज्ञात होता है, कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टाक नहीं सौपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं, तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 16 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

एन. के. खरे,

(878) सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला मुरैना

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

यह कि समस्त सम्बंधितों को इस सूचना-पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता को उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला मुरैना द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक व दिनांक (3)
1.	चोखोटी	880/04-02-1989
2.	नौगाँव	933/21-03-1991
3.	बिचोला	554/13-03-1984
4.	मैनावसई	562/13-03-1984
5.	बरण्डा	563/13-03-1984
6.	पलना	628/30-08-1989
7.	तौरकुम्भ	480/12-12-1980
8.	परिक्षत का पुरा	467/12-12-1980
9.	अम्बाह	1146/17-11-2000
10.	खादकापुरा	857/04-02-1989
11.	रतिरामपुरा	1156/14-12-2000
12.	बीलपुर	822/29-01-1989

(1)	(2)	(3)
13.	लहर का पुरा	620/30-05-1986
14.	रछेड़	683/27-08-1989
15.	बड़फरा	457/23-10-1980
16.	रतनपुरा	931/23-02-1991
17.	गीलापुरा	1231/31-05-2004
18.	बिण्डवा	691/27-08-1987
19.	खिटौरा	692/27-08-1987
20.	नन्दपुरा	695/27-08-1987
21.	मोकमसिंह का पुरा	925/16-01-1990
22.	बसैया	475/07-02-1981
23.	भवनपुरा	584/25-05-1985
24.	कुतवार	568/03-07-1984
25.	घुसगवां	451/23-01-1980
26.	जनकपुर	619/30-05-1986
27.	डोंगरपुर लोधा	472/07-02-1981
28.	सिहोरी	678/28-04-1987
29.	अखेपुरा	1311/15-06-2005
30.	रामनगर	1185/21-02-2002
31.	रघुनाथपुर	1186/05-02-2005
32.	खेरामेवदा	921/16-01-1990
33.	मिरघान	494/23-10-1980
34.	मोहनपुरा	859/04-02-1989
35.	घुरघान	465/12-12-1980
36.	सिकरौदा	487/15-02-1981
37.	सुरजनपुर	881/27-01-1989
38.	परिक्षा	1250/10-06-2004
39.	हरिगवां	736/11-03-1988
40.	सहराना	832/03-06-1988
41.	जालोनी	738/11-03-1988
42.	उदयभानकापुरा	841/27-01-1989
43.	सिकहेरा	801/27-01-1989

(1)	(2)	(3)
44.	बुधारा	629/30-05-1986
45.	लुधावली	688/27-08-1982
46.	पिपरीपूट	848/21-01-1989
47.	गढिया बुधारा	618/30-05-1986
48.	लालपुरा	632/20-09-1986
49.	कीचोल	639/24-01-1987
50.	सुनावली	804/30-11-1988
51.	रोरियापुरा	1028/31-03-1995
52.	अजनौधा	476/01-02-1981
53.	लल्लूबसई	456/01-02-1981
54.	सिहोनिया	851/04-02-1989
55.	रूअरिया	850/04-02-1989
56.	महूरी	855/04-02-1989
57.	माताकापुरा	852/04-02-1989
58.	बावरीपुरा	924/16-01-1990
59.	लीटियापुरा	922/16-01-1990
60.	पिपरौआ	1229/31-05-2004
61.	चमरगवा	1276/23-09-2004
62.	मुन्द्रावजा	556/05-05-1983
63.	सुमावली	536/26-05-1982
64.	बागचीनी	538/26-05-1982
65.	भैसरोली	548/26-05-1982
66.	उम्मेदगढवासी	550/26-05-1982
67.	चैना	558/26-05-1982
68.	टिकटोली	556/26-05-1982
69.	भटपुरानदी	1180/15-07-2002
70.	डिडोखर	1303/02-02-2005
71.	छोटेसिंह का पुरा	1321/14-06-2002
72.	बरोली	813/27-01-1989
73.	माधौपुरा	1085/20-08-1995
74.	दोहरी	478/07-02-1981

(1)	(2)	(3)
75.	नावली	622/30-05-1986
76.	वित्तकापुरा	673/27-03-1987
77.	कल्लूकापुरा	675/06-04-1987
78.	चिन्टेकापुरा	802/30-11-1988
79.	रूद्रकापुरा	808/30-11-1988
80.	विचौला	816/27-01-1989
81.	ऐसाह	823/27-01-1989
82.	नयापुरा	829/27-01-1989
83.	चतुरकीगढी	856/04-02-1989
84.	विजलीकापुरा	889/16-05-1989
85.	धनसुला	1181/16-05-1989
86.	छिद्देकापुरा	1186/16-05-1989
87.	टीकतपुरा	1182/16-05-1989
88.	चॉदकापुरा	1297/12-04-2004
89.	खेरो	1216/12-04-2004
90.	तालकापुरा	1297/12-04-2004
91.	अजुद्धीपुरा	1218/12-04-2004
92.	तरैनी	1286/30-04-2004
93.	भौनपुरा	1234/10-06-2004
94.	पाली	1265/03-08-2004
95.	गणेषपुरा	1270/13-08-2004
96.	पंचमपुरा	1275/23-09-2004
97.	जुझकी	1301/01-12-2004
98.	पुरावसखुर्द	1331/10-02-2006
99.	बीजला	1324/28-03-2006
100.	सेथराअहीर	628/30-05-1986
101.	रजोधा	630/30-05-1986
102.	भदावली	631/30-05-1986
103.	डोडरी	633/30-05-1986
104.	नगरापोरसा	638/30-05-1986
105.	वनवरिया	734/11-03-1988

(1)	(2)	(3)
106.	हिगोटियाई	824/27-01-1989
107.	विजयगढ़	834/27-01-1989
108.	साठों	835/27-01-1989
109.	कुरेठा	837/27-01-1989
110.	खेरली	836/27-01-1989
111.	सिलावली	838/27-01-1989
112.	महुआ	839/27-01-1989
113.	कोथरकलां	842/27-01-1989
114.	कोथरखुर्द	846/27-01-1989
115.	नंदकापुरा	621/30-05-1986
116.	घोर्रा	900/28-02-1991
117.	साधूकापुरा	966/18-10-1993
118.	मानधातकापुरा	1026/31-03-1995
119.	खोयला	1029/31-03-1995
120.	बहोरपुरा	1212/09-03-2004
121.	जाहरपुर	1235/10-06-2004
122.	पाटीवारी	1263/20-07-2004
123.	रावतकी	1268/03-08-2004
124.	सेथराबाडई	1272/10-08-2004
125.	पाली	1297/01-12-2004
126.	अकोलेकापुरा	1298/01-12-2004
127.	बजरिया	1299/01-12-2004
128.	पुरोहितकापुरा	1300/01-12-2004

अधोहस्ताक्षरकर्ता को उक्त संस्थाओं के सम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण करना है एवं पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण करनी है. अत: समस्त सम्बन्धितों को अवगत कराया जाता है कि यदि किसी को उक्त संस्था से कोई लेनदारी/देनदारी है तो वह अपने दावे सूचना-पत्र के प्रकाशन से 2 माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जाकर कि कोई दावा नहीं है संस्था का लेनदारी/देनदारी का अन्तिम निराकरण कर दिया जावेगा.

व्ही. के. अग्रवाल,
परिसमापक एवं प्रभारी प्रबंधक.

(913)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला मुरैना

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

यह कि समस्त सम्बंधितों को इस सूचना-पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता को उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला मुरैना द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक व दिनांक (3)
1.	धूरकूड़ा	741/16-03-1988

(1)	(2)	(3)
2.	सेमना	1296/25-11-2004
3.	देवकक्ष	1257/08-07-2004
4.	कुटरावली	829/27-01-1989
5.	मर्रा	773/30-06-1988
6.	हटीपुरा	777/30-08-1988
7.	बीरमपुर	707/07-11-1987
8.	शहदपुर	908/07-11-1989
9.	कोड़ेरा	1225/30-04-2004
10.	खेराकलां	891/16-05-1989
11.	घसटआ	775/30-06-1988
12.	बीरनपुरा	845/30-06-1988
13.	मई	674/23-03-1987
14.	कीरतपुर	559/13-03-1984
15.	निटहरा	360/13-03-1984
16.	कुम्हेरी	540/26-05-1989
17.	पृथ्वीपुरा	869/30-06-1988
18.	थराजौरा	539/26-05-1982
19.	सियारू	696/07-11-1989
20.	घन्नू का पुरा	902/07-11-1989
21.	सोटा	901/07-11-1989
22.	नाहरदौकी	1332/07-10-2008

अधोहस्ताक्षरकर्ता को उक्त संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण करना है एवं पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण करनी है. अत: समस्त सम्बन्धितों को अवगत कराया जाता है कि यदि किसी को उक्त संस्था से कोई लेनदारी/देनदारी है तो वह अपने दावे सूचना-पत्र के प्रकाशन से 2 माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जाकर कि कोई दावा नहीं है संस्था का लेनदारी/देनदारी का अन्तिम निराकरण कर दिया जावेगा.

रज्जाक खांन,

(914) परिसमापक.

कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला खरगौन

दिनांक 28 नवम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./सह./परि./14/क्यू.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगौन द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में किया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	सिंगाजी महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., दोमवाड़ा	1348/01-07-2003	1317/29-10-2014
2.	सतीमाता महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., भडवाली	1362/13-02-2004	1317/29-10-2014

अत: मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरूद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहुकारगण किसी भी लाभ के बटवारें से वांछित होने के दायित्वाधीन होगे यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तको में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेगें.

सूचना आज दिनांक 28 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

आर. आर. भट्ट,
सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(915)

कार्यालय सहायक-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/834.—रेत-खदान सहकारी समिति मर्यादित, लाँच नं. 2, जिसका पंजीयन क्रमांक 263, दिनांक 28 फरवरी, 1994 परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/551, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त रेत खदान सहकारी समिति मर्यादित, लाँच नं. 2 को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. एम. ए. जैदी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एस. एम. ए. जैदी परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(862)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/839.—जय बजरंग मजदूर औद्योगिक खदान सहकारी समिति मर्यादित, मंगरौल, जिसका पंजीयन क्रमांक 289, दिनांक 30 सितम्बर, 1995 परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/553, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की

धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त जय बजरंग मजदूर औद्योगिक खदान सहकारी समिति मर्यादित, मंगरौल को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. एम. ए. जैदी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एस. एम. ए. जैदी (C.I.) परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(862-A)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/810.—माँ सरस्वती महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, सतारी, जिसका पंजीयन क्रमांक 389, दिनांक 22 फरवरी, 2010 परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/560, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त माँ सरस्वती महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, सतारी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जी. सी. मुडिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जी. सी. मुडिया (C.I.) परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(916)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/811.—गिरधर उप. प्रा. सह. भण्डार सहकारी समिति मर्यादित, इन्दरगढ़, जिसका पंजीयन क्रमांक 402, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/528, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं. संस्था पंजीकृत पते पर नहीं पाई गई.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त गिरधर उप. प्रा. सह. भण्डार सहकारी समिति मर्यादित, इन्दरगढ़ को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. एम. ए. जैदी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एस. एम. ए. जैदी (C.I.) परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(916-A)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/812.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, होलीपुरा, दतिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 324, दिनांक .....सितम्बर, 2000 परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/639, दिनांक 19 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं. संस्था पंजीकृत पते पर नहीं पाई गई.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, होलीपुरा दतिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जी. सी. मुडिया सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जी. एस. मुडिया, (सहकारी निरीक्षक) परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(916-B)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/813.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, विसेपुरा, जिसका पंजीयन क्रमांक....., दिनांक..... परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/606, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, विसेपुरा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विजय दीक्षित, क्षेत्रीय पर्यवेक्षक (V.E.O.) दुग्ध संघ ग्वा. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि क्षेत्रीय पर्यवेक्षक दुग्ध संघ ग्वा. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(916-C)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/814.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, उड़ीना, जिसका पंजीयन क्रमांक....., दिनांक..... परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/605, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, उड़ीना को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विजय दीक्षित, क्षेत्रीय पर्यवेक्षक (V.E.O.) दुग्ध संघ ग्वा. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि क्षेत्रीय पर्यवेक्षक दुग्ध संघ ग्वा. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(916-D)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/815.—श्री बालाजी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बडौनीखुर्द, जिसका पंजीयन क्रमांक....., दिनांक..... परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/579, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं. संस्था पंजीकृत पते पर नहीं पाई गई.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त श्री बालाजी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बडौनीखुर्द को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जी. सी. मुडिया (C.I.) को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जी. सी. मुडिया (C.I.) परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(916-E)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/816.—माँ पीताम्बरा बीडी उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, इमलीपुरा दतिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 325, दिनांक 29 अगस्त, 2000 परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/563, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त माँ पीताम्बरा बीडी उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, इमलीपुरा दतिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जी. सी. मुडिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जी. सी. मुडिया, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(916-F)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/817.—सिद्धार्थ उप. प्राथ. भण्डार सहकारी समिति मर्यादित, दतिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 379, दिनांक 12 मई, 2009 परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/530, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त सिद्धार्थ उप. प्राथ. भण्डार सहकारी समिति मर्यादित, दतिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जी. सी. मुडिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जी. सी. मुडिया, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(916-G)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/818.—राजीव गांधी कामगार सहकारी समिति मर्यादित, दतिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 320, दिनांक 30 नवम्बर, 1998 परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/570, दिनांक 05 सितम्बर, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं. संस्था पंजीकृत पते पर नहीं पाई गई.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त राजीव गांधी कामगार सहकारी समिति मर्यादित, दतिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जी. सी. मुडिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जी. सी. मुडिया, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(916-H)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/819.—डॉ. अम्बेडकर स्टेशनरी एवं अन्य क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, दतिया, जिसका पंजीयन क्रमांक....., दिनांक..... परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/586, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त डॉ. अम्बेडकर स्टेशनरी एवं अन्य क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, दतिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जी. सी. मुडिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जी. सी. मुडिया, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(916-I)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/820.—सहकारी वेतन भोगी सहकारी समिति मर्यादित, दतिया, जिसका पंजीयन क्रमांक....., दिनांक..... परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/583, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त सहकारी वेतन भोगी सहकारी समिति मर्यादित, दतिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जी. सी. मुडिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जी. सी. मुडिया, सहकारी निरीक्षक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(916-J)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/821.—अनु. जाति पिछड़ा वर्ग रेत खदान सहकारी समिति मर्यादित, गोरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 312, दिनांक 24 मई, 1997 परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/542, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त अनु. जाति पिछड़ा वर्ग रेत खदान सहकारी समिति मर्यादित, गोरा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जी. सी. मुडिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जी. सी. मुडिया, सहकारी निरीक्षक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(916-K)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/822.—अम्बेडकर ईंधन सहकारी समिति मर्यादित, बडौनीखुर्द, जिसका पंजीयन क्रमांक 445, दिनांक 26 मई, 2011

परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/540, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त अम्बेडकर ईंधन सहकारी समिति मर्यादित, बडौनीखुर्द को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जी. सी. मुडिया (C.I.) को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जी. सी. मुडिया (C.I.) परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(916-L)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/823.—ग्रामीण महिला बहु. सहकारी समिति मर्यादित, बरोदी, जिसका पंजीयन क्रमांक 346, दिनांक 20 जुलाई, 2005 परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/557, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त ग्रामीण महिला बहु. सहकारी समिति मर्यादित, बरोदी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जी. सी. मुडिया सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जी. सी. मुडिया (C.I.) परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(916-M)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/824.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सेवड़ा, जिसका पंजीयन क्रमांक....., दिनांक..... परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/604, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि

में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं. संस्था पंजीकृत पते पर नहीं पायी गई.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सेवड़ा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक (V.E.O.) दुग्ध संघ ग्वा. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक (V.E.O.) परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(916-N)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/825.—ममता कुक्कुट पालन सहकारी समिति मर्यादित, बेरछा, जिसका पंजीयन क्रमांक 329, दिनांक 18 अप्रैल, 2001 परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/561, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त ममता कुक्कुट पालन सहकारी समिति मर्यादित, बेरछा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. एम. ए. जैदी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एस. एम. ए. जैदी, (स. नि.) परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(916-O)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/826.—निर्मित श्रम ठेका सहकारी समिति मर्यादित, दतिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 333, दिनांक 22 जून, 2003 परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/545, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त निर्मित श्रम ठेका सहकारी समिति मर्यादित, दतिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जी. सी. मुडिया (C.I.) को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जी. सी. मुडिया (C.I.) परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(916-P)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/827.—जय माँ काली अनु. जाति निर्मित श्रम ठेका सहकारी समिति मर्यादित, दतिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 381, दिनांक 01 जून, 2009 परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/546, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है. संस्था पंजीकृत पते पर नहीं पायी गई.

3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त जय माँ काली अनु. जाति निर्मित श्रम ठेका सहकारी समिति मर्यादित, दतिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जी. सी. मुडिया (C.I.) को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जी. सी. मुडिया (C.I.) परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(916-Q)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/829.—ज्योति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, कमलापुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 347, दिनांक 26 जुलाई, 2005 परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/555, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त ज्योति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, कमलापुरी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र परमार (C.E.O.) भाण्डेर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री सुरेन्द्र परमार (C.E.O.) भाण्डेर परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(916-R)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/831.—शासकीय शिक्षक कर्म. अकृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, भाण्डेर, जिसका पंजीयन क्रमांक 390, दिनांक 12 जनवरी, 1981 परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/548, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है. संस्था पंजीकृत पते पर नहीं पायी गई.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त शासकीय शिक्षक कर्म. अकृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, भाण्डेर को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र परमार (C.E.O.) भाण्डेर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री सुरेन्द्र परमार (C.E.O.) भाण्डेर परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(916-S)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/832.—श्री कृष्ण हरि. पिछड़ा वर्ग रेत-खदान सहकारी समिति मर्यादित, नेतुआ पुरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 259, दिनांक 21 फरवरी, 1996 परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/549, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है. संस्था पंजीकृत पते पर नहीं पायी गई.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त श्री कृष्ण हरि. पिछड़ा वर्ग रेत-खदान सहकारी समिति मर्यादित, नेतुआ पुरा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. एम. ए. जैदी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एस. एम. ए. जैदी सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(916-T)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/833.—रेत खदान सहकारी समिति मर्यादित, लाँच नं. 1, जिसका पंजीयन क्रमांक 262, दिनांक 28 फरवरी, 1994 परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/550, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त रेत खदान सहकारी समिति मर्यादित, लाँच नं. 1 को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. एम. ए. जैदी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एस. एम. ए. जैदी सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(916-U)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/835.—माँ काली रेत खदान सहकारी समिति मर्यादित, सेवढ़ा, जिसका पंजीयन क्रमांक 267, दिनांक 30 मई, 1994 परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/552, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त माँ काली रेत खदान सहकारी समिति मर्यादित, सेवढ़ा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. एम. ए. जैदी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एस. एम. ए. जैदी सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(916-V)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/838.—पीताम्बरा मेटल उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, दतिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 227, दिनांक 28 अक्टूबर, 1998 परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/567, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं. संस्था पते पर नहीं पाई गई.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त पीताम्बरा मेटल उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, दतिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जी. सी. मुडिया (C.I.) को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जी. सी. मुडिया (C.I.) परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(916-W)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/840.—अनु. जाति महिला सहकारी समिति मर्यादित, खमेरा, जिसका पंजीयन क्रमांक ....., दिनांक..... परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/554, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त अनु. जाति महिला सहकारी समिति मर्यादित, खमेरा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. एम. ए. जैदी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एस. एम. ए. जैदी सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(916-X)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/841.—अन्नपूर्णा काष्ठकला उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, ईटारोरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 539, दिनांक 23 सितम्बर, 1995

परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/564, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त अन्नपूर्णा काष्ठकला उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, ईटारोरा को एतद्द्वारा परिसमापन में लातां हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. एम. ए. जैदी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एस. एम. ए. जैदी सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(916-Y)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/842.—श्री जी ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, इन्दरगढ़, जिसका पंजीयन क्रमांक 384, दिनांक 08 अक्टूबर, 2009 परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/533, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं. संस्था पंजीकृत पते पर नहीं पायी गई.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त श्री जी ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, इन्दरगढ़ को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. एम. ए. जैदी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एस. एम. ए. जैदी सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(916-Z)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/843.—माँ पीताम्बरा क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, इन्दरगढ़, जिसका पंजीयन क्रमांक 376, दिनांक 25 फरवरी, 2009 परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/534, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं. संस्था पंजीकृत पते पर नहीं पाई गयी.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त माँ पीताम्बरा क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, इन्दरगढ़ को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. एम. ए. जैदी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एस. एम. ए. जैदी, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(917)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/844.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सिरसा, जिसका पंजीयन क्रमांक....., दिनांक..... परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/602, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सिरसा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक (V.E.O.) दुग्ध संघ ग्वा. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक (V.E.O.) परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(917-A)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/845.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, दावनी बी, जिसका पंजीयन क्रमांक....., दिनांक..... परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/603, दिनांक 9 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की

धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, दावनी बी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक (V.E.O.) दुग्ध संघ ग्वा. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक (V.E.O.) परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(917-B)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/846.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, वस्तूरी, जिसका पंजीयन क्रमांक....., दिनांक..... परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/601, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, वस्तूरी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक (V.E.O.) दुग्ध संघ ग्वा. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक (V.E.O.) परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(917-C)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/847.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मलम पहाड़ी, जिसका पंजीयन क्रमांक....., दिनांक..... परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/599, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मलम पहाड़ी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक (V.E.O.) दुग्ध संघ ग्वा. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक (V.E.O.) परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(917-D)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/848.—मंगला देवी उप. प्रा. भण्डार सहकारी समिति मर्यादित, सेवढ़ा, जिसका पंजीयन क्रमांक 390, दिनांक 15 मार्च, 2010 परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/529, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त मंगला देवी उप. प्रा. भण्डार सहकारी समिति मर्यादित, सेवढ़ा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. एम. ए. जैदी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एस. एम. ए. जैदी, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(917-E)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/849.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, इकौना, जिसका पंजीयन क्रमांक....., दिनांक..... परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/600, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, इकौना को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक (V.E.O.) दुग्ध संघ ग्वा. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक (V.E.O.) परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(917-F)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/854.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कुरथरा, जिसका पंजीयन क्रमांक....., दिनांक..... परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/598, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कुरथरा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक (V.E.O.) दुग्ध संघ ग्वा. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक (V.E.O.) परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(917-G)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/855.—ईंधन सहकारी समिति मर्यादित, बड़ोनीखुर्द, जिसका पंजीयन क्रमांक 353, दिनांक 03 अगस्त, 2006 परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/536, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं. संस्था पंजीकृत पते पर नहीं पाई गई.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त ईंधन सहकारी समिति मर्यादित, बड़ोनीखुर्द को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जी. सी. मुडिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जी. सी. मुडिया, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(917-H)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/856.—माँ दुर्गा शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, मैथानापाली, जिसका पंजीयन क्रमांक 368, दिनांक 10 जुलाई, 2007 परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/559, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था

से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अतः संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं. संस्था पंजीकृत पते पर नहीं पाई गई.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अतः मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त माँ दुर्गा शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, मैथानापाली को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र परमार (C.E.O.) भाण्डेर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री सुरेन्द्र परमार (C.E.O.) भाण्डेर परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(917-I)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/858.—ईंधन सहकारी समिति मर्यादित, भाण्डेर, जिसका पंजीयन क्रमांक 370, दिनांक 10 दिसम्बर, 2007 परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/537, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अतः संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं. संस्था पंजीकृत पते पर नहीं पाई गई.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अतः मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त ईंधन सहकारी समिति मर्यादित, भाण्डेर को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. एस. परमार (C.E.O.) भाण्डेर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एस. एस. परमार (C.E.O.) भाण्डेर परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(917-J)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/859.—माँ पीताम्बरा प्रा. ईंधन सहकारी समिति मर्यादित, दतिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 429, दिनांक 26 फरवरी, 2011 परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/538, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अतः संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं. संस्था पंजीकृत पते पर नहीं पायी गई.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त माँ पीताम्बरा प्रा. ईंधन सहकारी समिति मर्यादित, दतिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जी. सी. मुडिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जी. सी. मुडिया, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(917-K)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/860.—माँ पीताम्बरा महिला प्रा. ईंधन सहकारी समिति मर्यादित, दतिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 396, दिनांक 02 अगस्त, 2010 परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/539, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं. संस्था पंजीकृत पते पर नहीं पाई गई.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त माँ पीताम्बरा महिला प्रा. ईंधन सहकारी समिति मर्यादित, दतिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जी. सी. मुडिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जी. सी. मुडिया, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(917-L)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/861.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, दमेरा, जिसका पंजीयन क्रमांक....., दिनांक..... परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/597, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, दमेरा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक (V.E.O.) दुग्ध संघ ग्वा. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक (V.E.O.) परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(917-M)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/862.—मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, लहार हवेली, जिसका पंजीयन क्रमांक 342, दिनांक 24 अप्रैल, 2004 परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/544, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, लहार हवेली को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र परमार (C.E.O.) भाण्डेर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री सुरेन्द्र परमार (C.E.O.) भाण्डेर परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(917-N)

दतिया, दिनांक 24 जून, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/863.—हरिजन मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, खिरिया आलम, जिसका पंजीयन क्रमांक 445, दिनांक 22 जुलाई, 1985 परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/543, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त हरिजन मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, खिरिया आलम को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र परमार (C.E.O.) भाण्डेर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री सुरेन्द्र परमार (C.E.O.) भाण्डेर परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(917-O)

दतिया, दिनांक 25 जुलाई, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/968.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खडौआ, जिसका पंजीयन क्रमांक....., दिनांक..... परिसमापन

में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/596, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं. संस्था पंजीकृत पत्ते पर नहीं पायी गई.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खडौआ को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक (V.E.O.) दुग्ध संघ ग्वा. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक (V.E.O.) परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(917-P)

दतिया, दिनांक 25 जुलाई, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/969.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, डडी, जिसका पंजीयन क्रमांक....., दिनांक..... परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/594, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, डडी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक (V.E.O.) दुग्ध संघ ग्वा. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक (V.E.O.) परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(917-Q)

दतिया, दिनांक 25 जुलाई, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/970.—विकास महिला बहु. सहकारी समिति मर्यादित, बराना, जिसका पंजीयन क्रमांक 344, दिनांक 04 अप्रैल, 2005 परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/558, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त विकास महिला बहु. सहकारी समिति मर्यादित, बराना को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र परमार (C.E.O.) भाण्डेर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री सुरेन्द्र परमार (C.E.O.) भाण्डेर परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(917-R)

दतिया, दिनांक 25 जुलाई, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/971.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, भदेवरा, जिसका पंजीयन क्रमांक....., दिनांक..... परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/593, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं. संस्था पंजीकृत पत्ते पर नहीं पाई गयी.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, भदेवरा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक (V.E.O.) दुग्ध संघ ग्वा. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक (V.E.O.) परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(917-S)

दतिया, दिनांक 25 जुलाई, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/972.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, दरियापुर, जिसका पंजीयन क्रमांक....., दिनांक..... परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/590, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, दरियापुर को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक (V.E.O.) दुग्ध संघ ग्वा. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक (V.E.O.) परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(917-T)

दतिया, दिनांक 25 जुलाई, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/973.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, तरगुआं, जिसका पंजीयन क्रमांक....., दिनांक..... परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/592, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं. संस्था पंजीकृत पते पर नहीं पायी गई.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, तरगुआं को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक (V.E.O.) दुग्ध संघ ग्वा. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक (V.E.O.) परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(917-U)

दतिया, दिनांक 25 जुलाई, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2014/974.—मालती देवी महिला बहु. सहकारी समिति मर्यादित, परसौदा गूजर, जिसका पंजीयन क्रमांक 348, दिनांक 07 अक्टूबर, 2005 परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/556, दिनांक 09 मई, 2014 दिया गया था. जो संस्था को दिनांक .....को प्राप्त हुआ है. सूचना-पत्र का जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है, संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं. संस्था पंजीकृत पते पर नहीं है.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी समिति, सहकारी विधान और नियमों के तहत् संभव नहीं है.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-02-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये उक्त मालती देवी महिला बहु. सहकारी समिति मर्यादित, परसौदा गूजर को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. एम. ए. जैदी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एस. एम. ए. जैदी, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

दिनेश कुमार चौरसिया,
सहायक पंजीयक.

(917-V)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक,सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सीहोर के आदेश क्रमांक/परि./533, दिनांक 26 मई, 2014 द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	फल-फूल, साग-सब्जी उ. वि. सहकारी संस्था मर्या., इछावर	1180/18-08-2001	क्र./परिसमापन/2014/533/26-05-2014
2.	हरिजन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., गुराड़ी	796/08-12-1982	क्र./परिसमापन/2014/533/26-05-2014

अत: मैं, डी. सी. जैन, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकॉर्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से 2 माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें. समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी/सदस्य अन्य पदाधिकारी के पास कोई रिकॉर्ड, परिसम्पत्ति या नकदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें. अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

डी. सी. जैन,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(918)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक,सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सीहोर के आदेश क्रमांक/परि./2014/533, दिनांक 26 मई, 2014 द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	डाकतार कर्मचारी गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., सीहोर	870/19-12-1984	परि./2014/533, सीहोर, दि. 26-05-2014
2.	अनु. जाति मछुआ सह. संस्था मर्या., बरखेड़ी, सीहोर	1157/11-01-2013	परि./2014/533, सीहोर, दि. 26-05-2014

अत: मैं, नागेश गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकॉर्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से 2 माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें. समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी/सदस्य अन्य पदाधिकारी के पास कोई रिकॉर्ड, परिसम्पत्ति या नकदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें. अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

नागेश गुप्ता,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(922)

कार्यालय परिसमापक, प्रगति चर्मोद्योग सहकारी संस्था मर्या., कूंढा, जिला शिवपुरी

दिनांक 10 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

प्रगति चर्मोद्योग सहकारी संस्था मर्या., कूंढा, तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 354, दिनांक 24 मई, 1995 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 761A, दिनांक 04 जून, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 10 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

व्ही. के. जैन,
परिसमापक.

(919)

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 21 अक्टूबर, 2014

क्र./परि./2014/1539.—निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., सेवढ़ा.	474/22-02-2003	239/18-01-2013	श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

एस. के. सिंह,
उप-पंजीयक.

(920)

कार्यालय परिसमापक एवं विस्तार पर्यवेक्षक, नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़

दिनांक 12 जून, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ के आदेश द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध सह. समिति मर्या., उमरेड	838/30-11-2001	130/14-02-2013
2.	दुग्ध सह. समिति मर्या., गंगाहोनी	901/09-12-2003	135/14-02-2013
3.	दुग्ध सह. समिति मर्या., नादनपुरा	980/31-10-2005	134/14-02-2013
4.	दुग्ध सह. समिति मर्या., शमशेरपुरा	648/31-10-1998	133/14-02-2013
5.	दुग्ध सह. समिति मर्या., लखनवास	1030/09-05-2007	131/14-02-2013
6.	दुग्ध सह. समिति मर्या., हैदापुरा	1053/05-03-2008	132/14-02-2013
7.	दुग्ध सह. समिति मर्या., गादिया स्कूल	984/17-01-2006	136/14-02-2013
8.	दुग्ध सह. समिति मर्या., बेरिया खेडी	904/09-12-2003	137/14-02-2013
9.	दुग्ध सह. समिति मर्या., कुण्डीखैडा	615/25-03-1996	1587/20-08-2001

अत: मैं, एम. एल. वर्मा, विस्तार पर्यवेक्षक, केम्प नरसिंहगढ़ एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकॉर्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समय अवधि में मुझे कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र, नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें. समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/सदस्य अन्य पदाधिकारी के पास कोई रिकॉर्ड, परिसम्पत्ति या नकदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें. अन्यथा उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

एम. एल. वर्मा,
परिसमापक एवं विस्तार पर्यवेक्षक.

(921)

कार्यालय परिसमापक एवं विस्तार पर्यवेक्षक, नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़

दिनांक 12 जून, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ के आदेश द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध सह. समिति मर्या., उदनखेड़ी	882/27-07-2003	128/14-02-2013
2.	दुग्ध सह. समिति मर्या., धामन्दा	465/28-12-1989	125/14-02-2013
3.	दुग्ध सह. समिति मर्या., निशाना	715/04-12-2001	124/14-02-2013
4.	दुग्ध सह. समिति मर्या., बूचाखेड़ी	892/22-09-2003	123/14-02-2013

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	दुग्ध सह. समिति मर्या., आसारेटा रावत	639/19-09-2003	129/14-02-2013
6.	दुग्ध सह. समिति मर्या., धुआखेड़ा	863/19-09-2003	122/14-02-2013

अत: मैं, आर. सी. शर्मा, विस्तार पर्यवेक्षक, केम्प नरसिंहगढ़ एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकॉर्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समय अवधि में मुझे कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र, नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें. समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी/सदस्य अन्य पदाधिकारी के पास कोई रिकॉर्ड, परिसम्पत्ति या नकदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें. अन्यथा उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

आर. सी. शर्मा,
परिसमापक एवं विस्तार पर्यवेक्षक.

(923)

कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 02 सितम्बर, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/784.—परिसमापित जय महादेव मत्स्य सहकारी सोसायटी मर्यादित, दमेलपाडा, जिला रतलाम मध्यप्रदेश के परिसमापक श्री आर. सी. बामनिया द्वारा अपने पत्र दिनांक 04 अगस्त, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था के सदस्यों ने दिनांक 14 जुलाई, 2014 को विशेष आमसभा आयोजित कर सोसायटी को पुनर्जीवित करने हेतु निर्णय पारित किया है. निर्णय में उल्लेख किया गया है, कि संस्था को सुचारू रूप से चलायेंगे एवं संस्था का ऑडिट एवं निर्वाचन समय पर करायेंगे. संस्था द्वारा मछली पालन व आखेट का व्यवसाय नियमित रूप से सदस्यों के हित में करेंगे. परिसमापक द्वारा अपने पत्र के साथ सोसायटी की विशेष वार्षिक आमसभा दिनांक 14 जुलाई, 2014 का कार्यवाही विवरण संलग्न किया गया है. सोसायटी की आमसभा के द्वारा पारित ठहराव एवं परिसमापक की अनुसंशा के अनुक्रम में मेरी राय में यह उपयुक्त प्रतीत होता है कि संस्था के सदस्यों के विकास कार्यों एवं सदस्यों के आर्थिक विकास से सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण प्रजातांत्रिक स्वरूप से किया जाने हेतु संस्था का परिसमापन समाप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित जय महादेव मत्स्य सहकारी सोसायटी मर्यादित, दमेलपाडा, जिला रतलाम का परिसमापन समाप्त करते हुए संस्था को पुनर्जीवित किया जाता है एवं संस्था के कामकाज हेतु निम्नानुसार तद्र्थ कमेटी तीन माह के लिए नियुक्त की जाती है.

1.	श्री बाबूलाल पिता कचरा	अध्यक्ष
2.	श्री गोपाल पिता बाबु	सदस्य
3.	श्री शंकर पिता किशनलाल	सदस्य
4.	श्री तुलसीराम पिता बाबुलाल	सदस्य
5.	श्री मांगू पिता रामसिंह	सदस्य

उपर्युक्तानुसार नियुक्त तद्र्थ कमेटी इस आदेश के जारी होने के तीन माह के अन्दर निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्वाचन का प्रस्ताव मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण तिलहन संघ भवन, 1-अरेरा हिल्स, भोपाल को कमेटी के प्रस्ताव, ठहराव एवं चार माह के पूर्व की स्थिति पर सदस्यता सूची एवं संस्था के पंजीकृत उपविधि की प्रमाणित प्रति सहित एक माह की समय-सीमा में प्रेषित करें एवं उसकी प्रतिलिपि इस कार्यालय को दी जावे.

यह आदेश आज दिनांक 02 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

पी. आर. कावड़कर,
उप-रजिस्ट्रार.

(924)

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1934/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सुरेहली, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला, उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सुरेहली, पंजीयन क्रमांक 877, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(925)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1931/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, डोंगरमण्डला, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला, उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, डोंगरमण्डला, पंजीयन क्रमांक 874, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(925-A)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1932/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, नेंझर, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला, उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, नेंझर, पंजीयन क्रमांक 875, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(925-B)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1933/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बरवानी, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला, उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, वरवानी, पंजीयन क्रमांक 876, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(925-C)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1935/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, गजराज, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला, उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, गजराज, पंजीयन क्रमांक 878, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(925-D)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1936/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, घुघरी, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला, उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, घुघरी, पंजीयन क्रमांक 879, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(925-E)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1937/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कुटीददरगांव, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला, उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कुटीददरगांव, पंजीयन क्रमांक 880, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(925-F)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1938/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, नाहरवेली, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ 5 1 99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त

पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला, उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, नाहरवेली, पंजीयन क्रमांक 881, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(925-G)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1939/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, भैसवाही, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला, उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, भैसवाही, पंजीयन क्रमांक 882, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(925-H)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1940/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कुसमी, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला, उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कुसमी, पंजीयन क्रमांक 883, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(925-I)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1941/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बनेहरी, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं,, मण्डला, उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बनेहरी, पंजीयन क्रमांक 884, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(925-J)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1942/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, ढेको, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला, उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, ढेको, पंजीयन क्रमांक 915, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(925-K)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1943/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खोडाखुदरा एन. विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला, उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक

सहकारी समिति मर्यादित, खोडाखुदरा एन. पंजीयन क्रमांक 916, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(925-L)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1944/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कचनारी, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला, उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कचनारी, पंजीयन क्रमांक 917, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(925-M)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1945/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, दुलादर, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला, उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, दुलादर, पंजीयन क्रमांक 918, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(925-N)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1946/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पाटन, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पाटन, पंजीयन क्रमांक 919, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(925-O)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1947/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खजरी, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खजरी, पंजीयन क्रमांक 920, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(925-P)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1948/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, टिकरिया, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, टिकरिया,, पंजीयन क्रमांक 921, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(925-Q)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1949/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, चोबा, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, चोबा, पंजीयन क्रमांक 922, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(925-R)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1950/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बनिया, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बनिया, पंजीयन क्रमांक 923, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(925-S)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1951/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खम्हरिया, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त

पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खम्हरिया, पंजीयन क्रमांक 924, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(925-T)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1952/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, चुरिया, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, चुरिया, पंजीयन क्रमांक 925, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(925-U)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1953/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, राम्हेपुर, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, राम्हेपुर, पंजीयन क्रमांक 926, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(925-V)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1954/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बिलगांव, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बिलगांव, पंजीयन क्रमांक 927, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(925-W)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1955/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मांगा, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मांगा, पंजीयन क्रमांक 928, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(925-X)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1956/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, लाटो, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, लाटो, पंजीयन क्रमांक 929, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(925-Y)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1957/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सलवाह, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सलवाह, पंजीयन क्रमांक 930, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(925-Z)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1958/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, परसवाह, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, परसवाह, पंजीयन क्रमांक 931, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(926)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1959/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, छतरपुर, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, छतरपुर, पंजीयन क्रमांक 932, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(926-A)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1960/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, जुनवानी, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, जुनवानी, पंजीयन क्रमांक 933, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(926-B)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1961/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, किसली, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, किसली, पंजीयन क्रमांक 934, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के

निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(926-C)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1962/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सहजर, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सहजर, पंजीयन क्रमांक 935, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(926-D)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1963/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, घोरेघाट, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, घोरेघाट, पंजीयन क्रमांक 936, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(926-E)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1964/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, उमरिया, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त

पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, उमरिया, पंजीयन क्रमांक 937, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(926-F)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1965/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सिंघनपुरी, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सिंघनपुरी, पंजीयन क्रमांक 938, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(926-G)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1966/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, छिबलाटोला, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, छिबलाटोला, पंजीयन क्रमांक 939, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(926-H)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1967/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बम्हनी, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बम्हनी, पंजीयन क्रमांक 940, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(926-I)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1968/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, देवहारा, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं,, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, देवहारा, पंजीयन क्रमांक 941, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(926-J)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1969/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, तबलपानी, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, तबलपानी, पंजीयन क्रमांक 942, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(926-K)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1970/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, डूंडादेई, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, डूंडादेई, पंजीयन क्रमांक 943, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(926-L)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1971/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, इमलीटोला, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, इमलीटोला, पंजीयन क्रमांक 944, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(926-M)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1972/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, चलनी, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, चलनी, पंजीयन क्रमांक 945, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक

नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(926-N)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1973/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पाण्डकला, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पाण्डकला, पंजीयन क्रमांक 946, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(926-O)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1974/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खोडाखुदरा जी., विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खोडाखुदरा जी., पंजीयन क्रमांक 947, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(926-P)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1975/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, गरैया, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, गरैया, पंजीयन क्रमांक 948, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(926-Q)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1976/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, लाफन, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, लाफन, पंजीयन क्रमांक 952, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(926-R)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1977/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सहजर, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सहजर, पंजीयन क्रमांक 1361, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

के. सी. अग्रवाल,
सहायक रजिस्ट्रार.

(926-S)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2014-अग्रहायण 21, शके 1936

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 13 अगस्त, 2014

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील पोरसा, मुरैना, जौरा, सबलगढ़, कैलारस (मुरैना), ग्वालियर (ग्वालियर), गुन्नौर, पवई, शाहनगर (पन्ना), नागौद (सतना), हुजूर (रीवा), अनूपपुर (अनूपपुर), मानपुर (उमरिया), चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), कालापीपल (शाजापुर), पेटलावद, राणापुर (झाबुआ), जोवट, सोण्डवा, उदयगढ़, भामरा (अलीराजपुर), बदनावर, सरदारपुर, धार, कुक्षी, मनावर, धरमपुरी, डही (धार), बडवानी, राजपुर, सेंधवा, पानसेमल, निवाली (बड़वानी), बुरहानपुर, खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर) भैंसदेही, घोड़ाडोंगरी, शाहपुर, बैतूल, मुल्ताई (बैतूल), सिवनी-मालवा, इटारसी, सुहागपुर, पिपरिया (होशंगाबाद) कटनी, विजयराघौगढ़, बहोरीबंद (कटनी), जुन्नारदेव, अमरवाड़ा, चौरई, बिछुआ, मोहरखेड़ा (छिन्दवाड़ा), सिवनी, केवलारी, लखनादौन, कुरई, छपारा, (सिवनी), कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील अम्बाह (मुरैना), सेवड़ा (दतिया), नरवर, करैरा (शिवपुरी), छतरपुर (छतरपुर), अजयगढ़ (पन्ना), बंडा, देवरी, गढ़ाकोटा, शाहगढ़ (सागर), त्योंथर, सिरमौर, गुढ़, रायपुरकर्चुलियान (रीवा), जैतहरी (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली (उमरिया), कुसमी (सीधी), अलीराजपुर, कट्टीवाड़ा (अलीराजपुर), ठीकरी, पाटी (बड़वानी), गुलाबगंज, विदिशा (विदिशा), हुजूर (भोपाल), चिचोली, आमला (बैतूल), होशंगाबाद, बावई, पिपरिया, वनखेड़ी (होशंगाबाद), पाटन, मझोली (जबलपुर), रीठी, बरही (कटनी), पांढुर्ना (छिन्दवाड़ा), घंसौर, घनोरा (सिवनी), लांजी (बरघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील डबरा, भितरवार, घाटीगांव (ग्वालियर), दतिया, भाण्डेर (दतिया), लवकुशनगर, गौरीहार (छतरपुर), सागर, रहली (सागर), हनुमना (रीवा), कोतमा (अनूपपुर), गोपदवनास, सिंहावल, मझोली (सीधी), विदिशा, ग्यारसपुर (विदिशा), बैरसिया (भोपाल), रायसेन, बाड़ी, उदयपुर (रायसेन), पचमढ़ी (होशंगाबाद), सीहोर, जबलपुर (जबलपुर), ढीमरखेड़ा (कटनी), निवास, नैनपुर, नारायणगंज (मण्डला), तामिया (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील श्योपुर, कराहल, विजयपुर, (श्योपुर), शिवपुरी, पिछोर, खनियाधाना, कोलारस, पोहरी (शिवपुरी), मूंगावली, ईसागढ़, अशोकनगर, चन्देरी (अशोकनगर), गुना, राघोगढ़, आरोन, चांचोड़ा, कुंभराज (गुना), बिजावर, बड़ामलहरा (छतरपुर), बीना, खुरई, राहतगढ़, केसली, मालथोन (सागर), मऊगंज (रीवा), पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), सुबासराटप्पा, मल्हारगढ़, गरोठ, मंदसौर, श्यामगढ़, सीतामऊ, धुन्धड़का, संजीत, कयामपुर (मंदसौर), लटेरी, सिरोंज, कुरवाई, नटेरन (विदिशा), गैरतगंज, बेगमगंज, गोहरगंज, बरेली, सिलवानी (रायसेन), कुन्डम (जबलपुर), विदिशा, मंडला, घुघरी (मंडला), बरघाट (सिवनी), बालाघाट, बेहर, वारासिवनी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ड) 245.0 मि. मी. से 450.1 से अधिकतम तक.—तहसील बमोरी (गुना), पन्ना (पन्ना), भानपुरा (मंदसौर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, छतरपुर, सागर, सतना, रीवा, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, बड़वानी, बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, सिवनी में धान की रोपाई एवं जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, छतरपुर, पन्ना, सागर, रीवा, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, खरगौन, जबलपुर नरसिंहपुर में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**— . .

6. **सिंचाई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, सागर, दमोह, रीवा, झाबुआ, बड़वानी, विदिशा, भोपाल, नरसिंहपुर, बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 13 अगस्त, 2014

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	19.0		4. (1) . .	6. . .	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	15.0		(2) . .		
3. मुरैना	14.0				
4. जौरा	03.0				
5. सबलगढ़	16.0				
6. कैलारस	15.0				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	149.0		4. (1) धान, बाजरा, ज्वार, तिल, तुअर, उड़द, मूंग, सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कराहल	151.0		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. विजयपुर	126.0				
***जिला भिण्ड :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	16.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. डबरा	42.0		(2) . .		
3. भितरवार	46.9				
4. घाटीगांव	35.0				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	27.0		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, तिल, मूँगफली, सोयाबीन.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	36.0		(2) . .		
3. भाण्डेर	36.0				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	87.0		4. (1) गन्ना, सोयाबीन अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	60.0		(2) . .		
3. खनियाधाना	75.0				
4. नरवर	33.0				
5. करैरा	24.0				
6. कोलारस	163.0				
7. पोहरी	139.0				
8. बदरवास	145.0				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर:	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुंगावली	164.0		4. (1) सोयाबीन अधिक. उड़द, मक्का, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	61.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. अशोकनगर	80.0				
4. चन्देरी	90.0				
5. शाढौरा	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	171.4		4. (1) सोयाबीन, मक्का समान.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. राघोगढ़	230.0		(2) . .	. .	
3. बमोरी	342.0				
4. आरोन	192.0				
5. चाचौड़ा	184.0				
6. कुम्भराज	234.0				
***जिला टीकमगढ़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. निवाड़ी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) . .		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लवकुशनगर	41.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	37.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	14.6				
4. छतरपुर	21.0				
5. राजनगर	4.6				
6. बिजावर	65.0				
7. बड़ामलहरा	111.6				
8. बकस्वाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	21.0		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	249.6		(2) . .		
3. गुन्नौर	4.0				
4. पवई	4.0				
5. शाहनगर	12.0				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	83.2		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, मूंग,अरहर, तिल, मूंगफली, सोयाबीन.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	105.8		(2) . .		
3. बण्डा	28.4				
4. सागर	37.3				
5. रेहली	40.4				
6. देवरी	24.0				
7. गढ़ाकोटा	32.6				
8. राहतगढ़	111.0				
9. केसली	68.0				
10. मालथोन	86.4				
11. शाहगढ़	18.0				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) ज्वार, सोयाबीन, उड़द, तुअर, मूंग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		मक्का, धान, तिल सुधरी.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .		(2) . .		
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई व रोपाई का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. रघुराजनगर	. .	चालू है.	4. (1) धान, सोयाबीन कम. मूंग, उड़द, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		कोदों-कुटकी, तुअर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	. .		(2) . .		
4. नागौद	6.0				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	30.0	का कार्य चालू है.	4. (1) धान, सोयाबीन कम. ज्वार, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	21.8		मूंग, तिल, अरहर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	69.8		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. हनुमना	46.6				
5. हजूर	12.3				
6. गुढ़	29.0				
7. रायपुरकर्चुलियान	22.0				
***जिला शहडोल :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोहागपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	22.2	का कार्य चालू है.	4. (1) धान, मक्का, सोयाबीन, राहर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	16.7		कोदों-कुटकी कम.	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	46.4		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. पुष्पराजगढ़	63.3				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	20.1	का कार्य चालू है.	4. (1) धान, तुअर, तिल, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	29.0		मक्का, कोदों-कुटकी समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	10.0		(2) . .		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	37.8		4. (1) धान, तिल, तुअर, कोदों-कुटकी कम. मक्का, ज्वार, मूंग, उड़द समान.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	78.0				
3. मझौली	77.6				
4. कुसमी	34.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. चुरहट	9.0				
6. रामपुरनैकिन	13.4				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सुवासरा-टप्पा	162.6		4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. मूँगफली, तिल समान.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	370.0				
3. मल्हारगढ़	186.4		(2) . .		
4. गरोठ	218.4				
5. मन्दसौर	127.0				
6. श्यामगढ़	218.7				
7. सीतामऊ	176.4				
8. धुन्धड़का	122.0				
9. संजीत	193.0				
10.कयामपुर	174.0				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड़द अधिक. तिल, मूँगफली कम. तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .				
3. मनासा	. .		(2) . .		
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
***जिला उज्जैन :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खाचरौद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. महिदपुर	. .		(2) . .		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड़द अधिक.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	. .	
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) . .	. .	
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	3.0				
5. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) कपास, तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली, अधिक. गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) मक्का अधिक. सोयाबीन, तुअर, उड़द कम. धान, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) . .		
3. पेटलावद	0.8				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	2.0				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	9.6		4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, उड़द, मूंग, सोयाबीन, कपास समान.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	22.2		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. कट्टीवाड़ा	29.0				
4. सोण्डवा	6.0				
5. उदयगढ़	13.6				
6. भामरा	8.8				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	6.2		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	9.0		(2) उपरोक्त फसल समान.		
3. धार	4.4				
4. कुक्षी	1.5				
5. मनावर	6.0				
6. धरमपुरी	11.0				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	1.0				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	13.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. ठीकरी	34.3		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	16.0				
4. सेंधवा	13.0				
5. पानसेमल	3.0				
6. पाटी	33.0				
7. निवाली	8.0				
***जिला खण्डवा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	0.4		4. (1) कपास, मूँगफली समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	5.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	13.0				
***जिला राजगढ़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .		
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	116.0		4. (1) धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	73.0		(2) उपरोक्त फसल सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	155.2				
4. बासौदा	66.4				
5. नटेरन	100.0				
6. विदिशा	50.2				
7. गुलाबगंज	20.0				
8. ग्यारसपुर	52.0				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	35.8		4. (1) सोयाबीन, धान, मक्का, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	30.5		तुअर, मूँग, मूँगफली, ज्वार समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	. .	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	39.8		4. (1) धान, अरहर, मूँग, उड़द, तिल अधिक. ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, सोयाबीन, मूंगफली कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	79.2				
3. बेगमगंज	75.1				
4. गोहरगंज	59.0		(2) . .		
5. बरेली	66.0				
6. सिलवानी	80.0				
7. बाड़ी	40.0				
8. उदयपुरा	35.0				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	3.4		4. (1) सोयाबीन, धान, मक्का कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	13.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शाहपुर	5.2				
4. चिचोली	20.3				
5. बैतूल	9.8				
6. मुलताई	4.6				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	28.0				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	17.0		4. (1) गन्ना, तिल, मूंगफली समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	21.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बाबई	18.0				
4. इटारसी	12.0				
5. सोहागपुर	9.0				
6. पिपरिया	33.0				
7. वनखेड़ी	30.8				
8. पचमढ़ी	41.6				
***जिला हरदा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	52.4		4. (1) तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	28.7		(2) उपरोक्त फसल समान.		
3. जबलपुर	35.5				
4. मझौली	18.6				
5. कुण्डम	54.3				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	3.9		4. (1) धान, तिल, मक्का, कोदों, राहर, उड़द, मूँग .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	22.0				
3. विजयराघवगढ़	4.0		(2) . .		
4. बहोरीबंद	12.0				
5. ढीमरखेड़ा	42.0				
6. बड़वारा	. .				
7. बरही	22.0				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी व रोपाई का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .	चालू है.	4. (1) तुअर, सोयाबीन, धान, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		उड़द.	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	. .		(2) . .		
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	37.3		4. (1) मक्का, धान, तिल, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	71.5		कोदों-कुटकी सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	44.5		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी.		
4. मण्डला	103.0				
5. घुघरी	70.8				
6. नारायणगंज	48.4				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बजाग	. .		कोदों-कुटकी समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसल समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	8.6		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	52.0				
5. सोंसर	7.0				
6. पांढुर्णा	22.2				
7. अमरवाड़ा	9.6				
8. चौरई	12.8				
9. बिछुआ	10.0				
10. हर्रई	. .				
11. मोहखेड़ा	5.8				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई व धान की रोपाई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	14.1	का कार्य चालू है.	4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	11.0		मूँगफली, सन अधिक. ज्वार,	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	15.3		कोदों-कुटकी, सोयाबीन कम.		
4. बरघाट	76.4		(2) . .		
5. कुरई	6.0				
6. घंसौर	29.0				
7. घनोरा	25.5				
8. छपारा	15.4				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	132.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	27.3		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	73.0				
4. वारासिवनी	70.9				
5. कटंगी	14.0				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला भिण्ड, टीकमगढ़, खण्डवा, राजगढ़, हरदा से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(927)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.